प्रकाशन का 41 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई–पेपर

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

www.facebook.com/shailshamachar

वर्ष 42 अंक–16 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-17 सोमवार 17–24 अप्रैल 2017 मूल्य पांच रूपए

आनन्द चौहान को जमानत क्यों नही मिल पा रही है

शिमला/शैल। मुख्यमन्त्री वीरभद्र सिंह के एल आई सी एजैन्ट आनन्द चौहान पिछली नौ जुलाई से मनीलॉडरिंग मामले में जेल में है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका अस्वीकार कर दी है। आनन्द चौहान वीरभद्र सिंह के आय से अधिक सम्पत्ति और मनीलॉडरिंग में दर्ज मामलों में सहअभियुक्त हैं। आय से अधिक सम्पत्ति मामले में सी बी आई अपनी जांच पूरी करके चालान ट्रायल कोर्ट में दायर चुकी है क्योंकि इस मामले में दर्ज एफ आई आर को रद्द करने की गुहार को दिल्ली उच्च न्यायालय रद्द कर चुका है। ई डी इस मामले में दूसरा अटैचमैन्ट आर्डर जारी करने के बाद वीरभद्र से भी पूछताछ कर चुकी है। इस सारे प्रकरण में अब तक केवल आनन्द चौहान की ही गिरफतारी हुई है और उनकी जमानत याचिका तक खारिज हो चुकी है। आनन्द के पास जमानत के लिये केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही दस्तक देने का विकल्प बचा है। ऐसे में अब यह सवाल उठना षुय हो गया है कि यह सारा मामला कहीं आनन्द चौहान की मुर्खता का ही प्रमाण तो नहीं है जिसके कारण वीरभद्र और अन्य सभी जांच की आंच झेल रहे हैं।

इसे समझने के लिये इस पूरे प्रकरण में आनन्द की भूमिका को तथ्यों के आधार पर परखना आवश्यक हो जाता है।

आनन्द चौहान का वीरभद्र सिंह के बागीचे के प्रबन्धन का एमओयू 15.6.2008 को हस्ताक्षरित है। आनन्द चौहान ने आयकर विभाग के चण्डीगढ स्थित अपील अभीकरण में वर्ष 2009–10, 2010–11 और 2011–12 के आयकर आकलनों को चुनौती देते हुए याचिकाएं दायर की थी। इन याचिकाओं पर 1–12–16 2–12–2016 को सुनावाई हुई और 8.12.2016 को फैसला आया है जिसमें अपील अभीकरण ने आनन्द चौहान की याचिकाओं को अस्वीकार कर दिया है। इन याचिकाओं के माध्यम से जो तथ्य सामने हैं उन्हे समझने से यह स्पष्ट हो जाता है कि ईडी में मनीलॉड्रिंग प्रकरण के तहत हिरासत झेल रहे चौहान को जमानत क्यों नहीं मिल पा रही है। चौहान वीरभद्र सिंह के सीबीआई और ईडी मामलों में सह अभियुक्त है। चौहान एलआईसी के ऐजेन्ट हैं बल्कि उनकी पत्नी भी एलआईसी की ऐजेन्ट हैं। इस नाते यह माना जाता है कि उन्हें एलआईसी में किये जा रहे निवेश और उसके परिणाम स्वरूप आयकर विभाग द्वारा आय आकलन के लिये अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का पूरा ज्ञान होगा ही। वीरभद्र परिवार के सदस्यों के नाम आनन्द चौहान के माध्यम से ही एलआईसी पॉलिसियां ली गयी है और इन्ही पॉलिसियों के आधार पर वीरभद्र परिवार अपने विरूद्ध सीबीआई और ईडी की जांच झेल रहे हैं।

आनन्द चौहान ने वर्ष 2009–10 के लिये 1,83,700 रूपये की आयकर रिर्टन दायर की है जिसे विभाग ने 2.24 लाख पाकर पड़ताल के लिये 15.7.2011 को नोटिस जारी किया क्योंकि विभाग को चौहान के पीएनबी संजौली शाखा और एचडीएफसी बैंक में खाते होने की जानकारी मिली थी जिसका रिर्टन में कोई जिक्र नहीं था। विभाग के नोटिस के जबाव में 20.10.2011 को कहा कि यह बैंक खाता परिवार का संयुक्त खाता है जिसमें कृषि आय और कमीशन आदि का हिसाब है। लेकिन फिर 22.11.2011 को सूचित किया कि इस खाते में वीरभद्र सिंह के बागीचे की आय का हिसाब है और वह बागीचे प्रबन्धक हैं

उच्च न्यायालय में लग चुकी है अब तक 50 पेशीयां

तथा इस आश्य का 15.6.2008 का हस्ताक्षरित एमओयू है इस एमओयू की फोटो कापी विभाग को दी और यह यह कहा कि मूल प्रति खो गयी है। सीबीआई और ईडी को भी फोटो कापी ही दी गयी है। इस फोटो कापी की प्रमाणिकता जांचने के लिये आयकर अधिकारी ने वीरभद्र सिंह का कोई ब्यान तक नही लिया है। इस एमओयू में प्रयुक्त स्टांप पेपरों पर आनन्द का नाम कटिंग करके डाला गया है रजिस्ट्र में भी कटिंग की गयी है। पीएनबी के खाते में चौहान के नाम पर 1.04 करोड़ जमा है। एचडीएफसी में पांच लाख 20.11.2008 को जमा होते हैं और चौहान इन्हे एक साधराम द्वारा एलआईसी पॉलिसी के लिये दिये गये बताता है। चौहान 26.11.2008 को एलआईसी के नाम चैक काटता है। लेकिन जांच में साधराम के नाम से कोई पॉलिसी ही नही निकलती है। जबकि वीरभद्र सिंह के नाम दस लाख की पॉलिसी का फार्म 18.6.2008 को भरा जाता है इसी दौरान युनिवर्सल एप्पल 1.6.2008 और 13.6.2008 को पांच–पांच लाख चौहान को देता है जिसे वीरभद्र के बागीचे की आय बताया जाता है। एलआईसी के लिये चैक भी दस लाख का ही दिया जाता है। यहां पर सवाल उठता है कि जब आनन्द के साथ एमओयू ही 15.6.2008 को साईन होता है। तो फिर 1.6.2008 और 13.6.2008 को वीरभद्र के नाम से यूनिवर्सल एप्पल चौहान को पेमैन्ट क्यों और कैसे कर रहा है। एमओयू का दावा चौहान करता है। स्टांप पेपर वह लेता है लेकिन आयकर विभाग इस पर वीरभद्र से क्यों नही पूछता है। इसका कोई कारण नही बताया जाता है। वर्ष 21010–11 के लिये चौहान 3,40,080 रूपये की रिर्टन भरता है जबकि उसके बैंक खाते में 2,12,72,500रूपये जमा होते हैं। उसके पास 1.4.2009 को 1.03 करोड़ कैश इन हैण्ड होता है। इसी वर्ष में वह 3.84 करोड़ वीरभद्र परिवार के नामे पर एलआईसी में निवेश करता है। वीरभद्र के साथ हुए कथित एमओयू के अनुसार बागीचे की सारी उपज की सेल करना उसकी जिम्मेदारी है और वह यूनिवर्सल एप्पल को यह सेब बेचता भी है। परन्तु सेल के लिये बिल आनन्द की बजाये यूनिवर्सल एप्पल काटता है। जबकि कायदे से यह बिल आनन्द को काटने चाहिए थे। 12.8.2009 को 3540 क्रमांक का बिल काटा जाता है। इसमें 310 बाक्स 900 रूपये प्रति बाक्स और

शेष पृष्ठ 8 पर..................

सुप्रीम कोर्ट ने सौंपी सैशन जज को मकलोड़गंज बस अड्डा प्रकरण की जांच

शिमला/शैल। धर्मशाला के मकलोड़गंज में 2004 से बीओटी के तहत बन रहे बस स्टैण्ड और चार मंजिला होटल तथा शापिंग काम्लैक्स के निर्माण पर फिर अनिश्चितता की तलवार लटक गयी है। स्मरणीय है कि यह निर्माण वनभूमि पर हो रहा है जिसके लिये वन एवम् पर्यावरण अधिनियम के तहत वांच्छित अनुमतियां न लिये जाने के लिये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सीईसी के समक्ष एक अतुल भारद्वाज ने शिकायत डाली थी। इस शिकायत की जांच करके सीईसी ने अपनी रिपोर्ट 18 सितम्बर 2008 को सर्वोच्च न्यायालय में रखी थी। इस रिपोर्ट में पूरे निर्माण पर कानूनी प्रावधानों की गंभीर उल्लंघना के आरोप लगाते हुए सारै संवद्ध प्रशासनिक तन्त्र इसमें मिली भगत पायी गयी थी। इसमें प्रदेश सरकार पर एक करोड़ रूपये का जुर्माना भी लगाया गया था। सरकार के साथ ही निर्माण कार्य कर रही कंपनी मै. प्रंशाति सूर्य को ब्लैक लिस्ट करने और जुर्माना लगाने की संस्तुति की गयी थी।

सीईसी की इस रिपोर्ट को मै. प्रशांति सूर्य ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जिस पर मई 2016 में शीर्ष अदालत ने फैसला दिया। इस फैसले में मै0 प्रशांति सूर्य को पर्यावरण संरक्षण के एनजीटी अधिनियम की धारा 15 और 17 के तहत 15 लाख का जुर्माना लगाया गया। यह जुर्माना प्रदेश के

पहले यह जांच मुख्य सचिव ने करनी थी

प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड में जमा करवाना होगा। इसी के साथ प्रदेश सरकार और पर्यटन विभाग तथा बस अड्डा प्रबन्धन एवम् विकास अथॉरिटी पर भी दस लाख का जुर्माना लगाया गया। हिमाचल सरकार पर पांच लाख और पर्यटन विभाग पर भी पांच लाख का अलग से जुर्माना लगा है। इसमें बन रहे होटल और रेस्तरां को भी दो सप्ताह के भीतर गिराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। इसी के साथ प्रदेश के मुख्य सचिव को इस पूरे प्रकरण की जांच करके बस अड्डा प्राधिकरण के संबधित अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करते हुए उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कारवाई करने के निर्देश सर्वोच्च न्यायालय ने पारित किये हैं।

सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले की बस अड्डा प्राधिकरण ने फिर अपील के माध्यम से चुनौति दी। इस अपील की सनुवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने इस संद्धर्भ में जो जांच प्रदेश के मुख्य सचिव को करने की जिम्मेदारी दी थी अब जांच जिला कांगड़ा के सत्र न्यायधीश को करने की जिम्मेदारी दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है। कि We accordingly modify our order dated 16.05.2016 and direct the District Judge to hold an inquiry into the conduct of all officers responsible for the construction of the bus stand / hotel/accompanying complex and to submit a report to this Court as to the circumstances in which the alleged construction was erected and the role played by the officers associated with the same. The District Judge may appoint a suitable presenting officer to assist him in the matter. We further direct that the Government of Himachal Pradesh and the petitioner authority shall render all such assistance as may be required by the District Judge in connection with the inquiry and produce all such record and furnish all such information as may be requisitioned by him. Needless to say that the District Judge shall be free to take the assistance of or summon any official from the Government or outside for recording his/her statement if considered necessary for completion of the inquiry. The District Judge is also given liberty to seek any clarification or direction considered necessary in the matter. He shall make every endeavour to expedite the completion of the inquiry and as far as possible send his report before this Court within a period of four months from the date a copy of this order is received by him.

सैशन जज धर्मशाला ने इस जांच के संद्धर्भ में अभी तक अपनी रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय को नहीं सौंपी है। माना जा रहा है कि इस प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय और सीईसी ने जिस विस्तार से इस मामले में हुई हुई धांधलीयों को उजागर करते हुए सभी संबद्ध पक्षो को कड़ी फटकार और जुर्माना लगाया है उसे देखते हुए इसमें संलिप्त रहे सारे अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारीयां तय होना निश्चित माना जा रहा है। क्योंकि इसमें हुई अनियमितताओं का संज्ञान तो शीर्ष अदालत पहले ही ले चुकी है। अब इसमें केवल यह तय होना ही शेष है कि किस अधिकारी के स्तर पर क्या कोताही हुई है।

राज्य का प्रत्येक परिवार आर्थिक व सामाजिक तौर हो खुशहालः मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने चम्बा जिले के विधानसभा क्षेत्र भटियात के बगढार में एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि अभिभावकों को लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक शिक्षित महिला पूरे समाज को शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि लड़का व लड़की दोनों ही महत्वपूर्ण हैं और उन्हें एक समान शिक्षित करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि शिक्षा किसी भी विकसित समाज की आधार है और राज्य सरकार ने गुणात्मक शिक्षा को प्राथमिकता प्रदान की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने मौजूदा कार्यकाल के दौरान राज्य के विभिन्न भागों में 42 नए महाविद्यालय खोले और महाविद्यालयों की संख्या बढ़कर 121 तक पहुंच गई है, जिनमें सलूणी तहसील तथा पूर्व में कांगड़ा के मटौर में घोषित किए गए दो कॉलेज भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सभी नये महाविद्यालय राज्य के दूरदराज के क्षेत्रों में खोले गए हैं ताकि लड़कियों को उनके घरद्वार के समीप उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अधिक से अधिक अवसर मिल सके।

मुख्यमंत्री ने माध्यमिक पाठशाला ढ़लोग को उच्च पाठशाला, राजकीय प्राथमिक पाठशाला खुई तथा रंगढ़ को राजकीय माध्यमिक पाठशाला, माध्यमिक पाठशाला मठालू, खनेरा, सहारी, सलोह को राजकीय उच्च विद्यालय तथा राजकीय उच्च पाठशाला धरूण भरनेट को वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने की घोषणाएं की। उन्होंने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बगढार को सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रोत्साहन के लिए 15 हजार रुपये की राशि की घोषणा की। उन्होंने नैनीखड्ड से समलेऊ सम्पर्क सड़क के सुधार की भी घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायत चुहान के गढ़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा ग्राम पंचायत समलेऊ के कनडेई में स्वास्थ्य उप केन्द्र खोलने की घोषणा की। वीरभद्र सिंह ने कहा कि हमारी सरकार का स्वपन तभी साकार होगा, जब राज्य का प्रत्येक परिवार आर्थिक व सामाजिक तौर पर सम्पन्न हो। उन्होंने कहा कि 'मेरा मानना है कि हमारा उद्देश्य व मिशन असफल होगा यदि हिमाचल का कोई भी नागरिक तंगहाली अथवा गरीबी में जीवन यापन कर रहा है और सामाजिक-आर्थिक रूप से सबल नहीं है'। उन्होंने कहा कि गरीबों का कल्याण और उनकी खुशी को किसी भी कीमत पर सुनिश्चित बनाया जाना चाहिए और मेरी सरकार इसके लिए कृतसंकल्प है।

उन्होंने कहा कि हिमाचल, विशेषकर गांवों में सड़क नेटवर्क के कारण आर्थिक क्रांति आई है। सड़कें विकास की आधार हैं और सरकार लोगों का विकास सुनिश्चित बनाने के लिए सड़कों के महत्व को भलीभांति समझती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज में विभाजन देश के लिए घातक है। भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के प्रयोग का अधिकार है। उन्होंने कहा कि ऐसा देखा गया है कि कुछ कट्रपंथी विभिन्न धर्मो के लोगों के बीच दरार उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं, सद्भाव व एकता को भंग करने की कोशिश करते हैं और हमें समझना चाहिए कि ऐसे लोगों को उनकी राजनीतिक आकांक्षाओं के लिए देश को तोड़ने का मौका नहीं दिया जाए।

वीरभद्र सिंह ने भटियात निर्वाचन क्षेत्र में 2.25 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित बगढार-खुई सड़क तथा धार, जनोली, नगाली, नूई, बगधार, बरोह, खुई, दलोग, बणु, बासा, कनयारका, पट्टी, सोहार, ग्राम पंचायत बगधार के उलेढ़, नगाली, दलोग, सुडली और भटियात निर्वाचन क्षेत्र के मोरनू सहित 20 गांवों की पांच हजार की आबादी को लाभान्वित करने वाली 1.92 करोड़ रुपये की उठाऊ जलापूर्ति योजना का लोकार्पण किया। उन्होंने ग्राम पंचायत बनीखेत के जनगणना गांवों बनीखेत, जरेई, बगोता, धरढ़, बनीखेत, उगराल की आंशिक रूप से कवर बस्तियों के लिए 84 लाख रुपये की लागत से निर्मित होने वाली पेयजल आपूर्ति योजना की आधारशिला भी रखी। इससे क्षेत्र की 14 बस्तियों की मौजूदा 3700 की आबादी लाभान्वित होगी।

इससे पूर्व, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने क्षेत्र के विकास का श्रेय वीरभद्र सिंह को देते हुए कहा कि सत्तासीन कांग्रेस की सरकारों के कारण ही हिमाचल देश के पर्वतीय राज्यों में विकास के आदर्श के रूप में उभर कर सामने आया है।

उन्होंने कहा कि हिमाचल को शिक्षा के क्षेत्र में देश के बड़े राज्यों मे सर्वश्रेष्ठ आंका गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में आज 95 प्रतिशत सड़क नेटवर्क है। हालांकि, भाजपा अपने पांच वर्ष के कार्यकाल में 4.50 किलोमीटर खुई सड़क को पूरा नहीं कर सकी, जिसका उद्घाटन कर बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत खुई सड़क के विस्तार की भी मांग रखी। उन्होंने बगढार से छलूंई के लिए नई सड़क के निर्माण तथा बगढार में 33 केवी विद्युत उप केन्द्र की मांग की। उन्होंने ग्राम पंचायत बगढार के प्राथमिक पाठशाला खुई तथा ग्राम पंचायत नगाली के रंगड़ को माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने तथा माध्यमिक पाठशाला धलोग, जतरून तथा मठलू को उच्च पाठशालाओं में स्तरोन्नत करने का आग्रह किया। उन्होंने नैनीखड्ड-समलेऊ सड़क के स्तरोन्यन के लिए भी मुख्यमंत्री से आग्रह किया।

HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORKS DEPARTMENT
'NOTICE INVITING TENDER'

Sealed item rate tenders on form 6&8 are hereby invited by the Executive Engineer , Palampur Division HP PWD Palampur on behalf of the Governor of H.P. for the following work from the approved and eligible contractors enlisted in HP PWD (B&R) whose registration stood renewed as per revised rules and also registered under the H.P. General Sales Tax Act. 1968 so as to reach in his office on or before on **25.5.2017 up to 11:00 AM.** And the same shall be opened on the same day at **11:30 A.M.** in the presence of intending contractors or their authorized representatives. The tender documents can be had from his office against cash payment (non- Refundable) on **24.5.2017 up to 4:00 P.M.** and the application for issue of tender form shall be received on **23.5.2017 up to 12:00 noon.**

The earnest money in the shape of NSC /FDR saving account of the Post office /Bank in H.P. duly pledged in favour of the XEN must accompany with each tender. Conditional /incomplete tenders & tender without earnest money will be summarily rejected. The XEN reserves the right to accept or reject any all tenders or drop the proposal of tenders without assigning any reasons.

Sr. No.	Name of work	Estimated Cost (in Rs.)	Earnest Money	Time Limit	Cost of Tender Form
	Consrtuction of link road from main road to the land of Kushal Singh, Tehsil Palampur. (SH:- Providing and laying C.C Pavement 0/000 to 0/175 & U-Shape drain km. 0/000 to 0/200)(Deposit work).	3,84,291/-	7700/-	Three Months	350/-

Terms & Conditions:-
Following documents should accompany the application for tenders.
1. Sale Tax No. with latest tax clearance certificate.
2. Valid copy of Registration.
3. Machinery will be of the contractor where required.
4. Certificate regarding possession of machinery.
5. Telegraphic/Fax tenders are not acceptable.
6. The tender documents can be received by registered/ insured post which should be received in this office on or before the date of opening of tender by 11:00 A.M. positively.
7. Contractor should have successfully executed two works of similar nature of 1/3 amount of estimated cost or similar single work of equal to estimated cost during the last preceding three years.
8. The Contractor will have to submit affidavit along with application for issue of tender that he has not more than two works in hand. Next tender will be issued only after completion of previous works in hand.

Adv. No.-0185/17-18 HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक-जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार-ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना

राज्यपाल ने हटाई लाल बत्ती

शिमला/शैल। लालबत्ती का वीआईपी कल्चर समाप्त करने के केंद्र सरकार के फैसले के बाद, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने अग्रिम पहल की है। उन्होंने अपने वाहन तथा काफिले के सभी वाहनों से लाल बत्ती हटवाने के निर्देश दिए हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमण्डल की बुधवार को आयोजित बैठक में एक मई से वाहनों से लाल बत्ती हटाने का फैसला लिया गया है। राज्यपाल ने केंद्र सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है तथा कहा कि यह एक ऐतिहासिक निर्णय है, जिससे देश में 'वीआईपी संस्कृति' समाप्त की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि मजबूत लोकतंत्र की दिशा में यह एक बेहतर कदम है। इससे समाज में संभाव भी आएगा और आपराधिक प्रवृति के लोग जो लाल बत्ती लगाकर समाज को नुकसान पहुंचाते हैं, उसमें भी कमी आएगी।

राज्यपाल प्रदेश से बाहर अपने चार दिन के प्रवास पर हैं। वे राजभवन, शिमला से अनाडेल हेलीपैड, शिमला के लिए रवाना हुए। राजभवन से रवाना होने से पूर्व उन्होंने वाहनों से लाल बत्ती हटाई। वह सरकारी हैलीकाप्टर से दिल्ली गए और दिल्ली पहुंचने पर भी उन्होंने वहां उपलब्ध सरकारी वाहनों से लाल बत्ती हटाई।

10 करोड़ से होगा ब्रौनी नाले का सुधार:नंद लाल

शिमला/शैल। रामपुर उपमण्डल के अंतर्गत झाकड़ी स्थित ब्रौनी नाले का राष्ट्रीय उच्च मार्ग के दोनों ओर का निर्माण व सुधार किया जाएगा, जिससे इस क्षेत्र में लगातार हो रहा भू:स्खलन बंद हो जाएगा और साथ लगते गांवों के बागवानों को बड़ी राहत मिलेगी। सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयार प्राक्कलन के अनुसार इसके निर्माण पर 10 करोड़ की राशि खर्च होगी। यह जानकारी मुख्य संसदीय सचिव नंद लाल ने शिमला में आयोजित राज्य स्तरीय नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना व बासपा विस्थापित तथा राहत एवं पुनर्वास समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने कहा कि ब्रौनी नाला के आस-पास के गांवों के लोग लम्बे समय से नाले के सुधार की मांग कर रहे थे। विशेषकर बरसात के दौरान इस नाले के कारण लगातार भू:स्खलन की समस्या बनी रहती है और समीपवर्ती मकानों व बागवानी को भी बड़ा नुकसान पहुंचता है। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य आरंभ करने के लिये दो करोड़ की राशि शीघ्र जारी की जा रही है।

बैठक में एसजेवीएनएल के महाप्रबंधक संजीव सूद, अतिरिक्त महाप्रबंधक डीपी कौशल तथा प्रबंधक सीएसआर के.के. सिंगटा के साथ परियोजना प्रभावित क्षेत्रों के लोगों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई और विचार-विमर्श के उपरांत अनेक समस्याओं का मौके पर समाधान किया गया।

सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (एसजेवीएनएल) में विस्थापितों को नौकरियां प्रदान करने के मुद्दे पर मुख्य संसदीय सचिव ने इस बारे शिकायतों को गंभीरतापूर्वक लेते हुए एसजेवीएनएल प्रशासन से स्थानीय लोगों को प्राथमिकता के आधार पर सभी प्रकार के पदों में 70 प्रतिशत नौकरियां सुनिश्चित बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि बाहरी ठेकेदारों के माध्यम से प्रवासी मजदूरों की तैनाती केवल विस्थापितों की अनोपलब्धता पर ही की जानी चाहिए। हालांकि बैठक में अवगत करवाया गया कि 139 भूमिहीन परिवारों में से 61 परिवारों को परियोजना में स्थाई रोजगार प्रदान किया जा चुका है। बैठक में अवगत करवाया गया कि झाकड़ी के अंतर्गत गांव गसो व शान्तिनगर तथा खडकाग के कुछ मकानों को हुए नुकसान का मुआवजा पहले ही संबंधित एसडीएम के माध्यम से दिया जा चुका है। झाकड़ी में 10 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित सीवरेज लाईन का वर्ष 2015 में लोकार्पण किया जा चुका है और छूटे हुए गांवों को इसमें शामिल करने के लिये 2.95 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है और शीघ्र ही इसकी निविदाएं आंमत्रित की जाएंगी।

भूमि मुआवजे पर चर्चा करते हुए जानकारी दी गई कि परियोजना प्रभावितों को वितरण के लिए एसडीएम रामपुर तथा एसडीएम निचार के पास 3.82 करोड़ रुपये की राशि जमा करवाई गई थी, जिसमें से अधिकांश का वितरण प्रभावितों को कर दिया गया है। केवल विवाद वाले मामलों में वितरण किया जाना है। इसी प्रकार कंधार गांव में मकानों में आई दरारों के मुआवजे पर अवगत करवाया गया कि प्रत्येक विस्थापित परिवार को मकान निर्माण हेतु सरकार द्वारा स्वीकृत 8.28 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है।

नाथपा झाकड़ी परियोजना के लिए फिल्टर चौम्बरों के निर्माण से निचार गांव तथा निगुलसारी व करापे गांवों में लगातार हो रहे भू:स्खलन से हो रहे नुकसान की भरपाई पर राज्य सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया कि इसका सर्वेक्षण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद से करवाया जाएगा और तद्नुसार इस पर निर्णय लिया जाएगा। नाथपा संपर्क सड़क पर व्यय की गई 2 करोड़ रुपये राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शीघ्र जारी करने को लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए गए ताकि इसकी शेष राशि जारी करवाई जा सके।

बैठक की कार्यवाही का संचालन करते हुए अतिरिद्र मुख्य सचिव (राजस्व) तरूण श्रीधर ने संबन्धित एसडीएम व राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि पुश्तैनी भूमिहीन परिवारों को ही प्लॉट का आवंटन किया जाए और मालिकाना हक प्रदान करने के मामलों का निपटारा तीन माह के भीतर किया जाए। उन्होंने कहा कि राहत व पुनर्वास को लेकर राज्य सरकार गंभीर है और इसमें कोताही को लेकर किसी प्रकार की ढील नहीं दी जा सकती। उन्होंने विवादित मामलों का निपटारा भी तीन माह में करने के निर्देश दिए।

ई-नैम के लिए सोलन को प्रधानमंत्री पुरस्कार

शिमला/शैल। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली में आयोजित 11वें नागरिक सेवा दिवस के दौरान सोलन जिले को ई-नैम (राष्ट्रीय कृषि मंडी) के श्रेष्ठ कार्यान्वयन के लिए उत्कृष्ट लोक प्रशासन में प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया।

सोलन के उपायुक्त राकेश कंवर तथा सोलन ई-मण्डी के सचिव प्रकाश कश्यप ने यह पुरस्कार प्राप्त किया।

प्रशासनिक सुधार विभाग की सचिव डा. पूर्णिमा चौहान ने कहा कि कृषि क्षेत्र में 'उत्कृष्ट लोक प्रशासन-2017' के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार के अन्तर्गत कृषि क्षेत्र में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा ई-राष्ट्रीय कृषि मण्डी सहित तीन कार्यक्रमों का चयन किया गया था। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने पुरस्कार विजेताओं का चयन अगस्त, 2016 के उपरान्त जमीनी स्तर पर प्रदर्शन की वास्तविकताओं की जांच के आधार पर किया है, जिसमें हिमाचल प्रदेश के सभी जिले 6 प्रमुख कार्यक्रमों में अन्य पहाड़ी राज्यों के साथ प्रतिस्पर्धा में थे तथा ई-नैम वर्ग में प्रदेश को अत्याधिक प्रवृष्टियां प्राप्त हुई।

डा. चौहान ने कहा कि प्रदेश के हमीरपुर जिला ने गत वर्ष मृदा स्वास्थ्य कार्ड के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्राप्त किया था, जो प्रदेश का कृषि क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान देने को प्रदर्शित करता है।

उन्होंने कहा कि सोलन जिले में कार्यरत ई-कृषि मण्डियों से उत्पादों के व्यापार में पारदर्शिता आने के साथ-साथ किसानों को उचित दाम सुनिश्चित होंगे। उन्होंने कहा कि विपणन प्रक्रिया कैशलैस होगी तथा उत्पादकों को मौके पर भुगतान किया जाएगा।

दण्डाधिकारी संदीप नेगी ने कहा कि ई-नैम किसानों तथा फल उत्पादकों के लिए बहुत लाभकारी है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन सोलन ने एपीएमसी के सहयोग से इस कार्यक्रम को सोलन, शिमला तथा सिरमौर जिलों में लोकप्रिय बनाने के लिए जमीनी स्तर पर कार्य किया। उन्होंने कहा कि सोलन जिला प्रशासन निकट भविष्य में किसानों एवं बागवानों को सोशल मीडिया तथा एसएमएस के माध्यम से मौसम, बाजार भाव तथा फसल चक्र संबंधी जानकारी भी उपलब्ध करवाएगा।

एपीएमसी सोलन द्वारा संचालित फल एवं सब्जी विपणन मण्डी किसानों एवं बागवानों को सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवा रही हैं। सोलन के अतिरिक्त ये मण्डी जिले के 11 और स्थानों में विपणन सुविधाएं प्रदान करवा रही है। एपीएमसी सोलन ने इस मण्डी में अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान करने पर 6.5 करोड़ रुपये की राशि व्यय की हैं।

सोलन के अतिरिक्त जिला

11वां नागरिक सेवा दिवस राज्य के सभी जिलों में आयोजित किया गया। राज्य स्तरीय समारोह शिमला के हिप्पा में आयोजित किया गया।

राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री का बस दुर्घटना पर शोक प्रकट

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत तथा मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने शिमला जिला के नेरवा के समीप एक निजी बस दुर्घटना में मारे गए 46 यात्रियों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। राज्यपाल ने अपने शोक संदेश में मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की है तथा दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवारों से गहरा शोक प्रकट किया है। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की भी कामना की है।

मुख्यमंत्री ने दुर्घटना में प्रभावित परिवारों तथा घायलों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं।

हि.प्र. विधान सभा के अध्यक्ष बी.बी.एल. बुटेल, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री विद्या स्टोक्स, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौल सिंह ठाकुर, ऊर्जा मंत्री सुजान सिंह पठानिया, वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी, उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री, शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा, आबकारी एवं कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. कर्नल धनीराम शाडिल, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा, आयुर्वेद मंत्रीकर्ण सिंह, हि.प्र. विधान सभा के उपाध्यक्ष जगत सिंह नेगी, मुख्य संसदीय सचिव नीरज भारती, राजेश धर्माणी, विनय कुमार, जगजीवन पाल, नंदलाल, रोहित ठाकुर, सोहन लाल ठाकुर, इंद्र दत्त लखनपाल तथा मनसा राम ने भी दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है।

सीआईआई बिजली दरों में वृद्धि के खिलाफ एचपीआरईसी के फैसले का किया स्वागत

शिमला/शैल। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने 2017-18 के लिए राज्य में घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में वृद्धि पर हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग (एचपीईआरसी) के फैसले का स्वागत किया है। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड ने 30 प्रतिशत बिजली की दरों में वृद्धि का प्रस्ताव दिया था जिसे आयोग ने खारिज कर दिया है। निर्णय का स्वागत करते हुए सीआईआई हिमाचल प्रदेश स्टेट काउंसिल के अध्यक्ष राजेश सबू ने कहा कि हम हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के बिजली की दरों को 30 प्रतिशत तक बढ़ाने के प्रस्ताव को अस्वीकार करने के लिए एचपीआरईसी का आभार जताते हुए स्वागत करते हैं। राज्य बिजली बोर्ड को टैरिफ के बजाय अपनी क्षमता बढ़ाने की दिशा में काम करना चाहिए। प्रस्तावित टैरिफ वृद्धि के कारण उद्योग प्रभावित होते और अब इस फैसले के बाद सभी ने राहत की सांस ली है। सीआईआई हिमाचल प्रदेश स्टेट काउंसिल के उपाध्यक्ष आईएमजेएस सिद्धू ने कहा कि एचपीईआरसी के फैसले ने स्पष्ट संदेश भेजा है कि बिजली बोर्ड को कमर कसने और हर स्तर पर दक्षता लाने की जरूरत है होने के साथ ही उपभोक्ताओं के हितों का ध्यान रखते हुए बिजली के टैरिफ में नियमित रूप से बढ़ौतरी नहीं करने का संकेत दिया है।

वर्ष 2021 के बाद वन विभाग हिमाचल प्रदेश लम्बे पौधों का पौधरोपण ही करेगा-तरूण कपुर

शिमला/शैल। वन विभाग हिमाचल प्रदेश ने तरूण कपुर, अतिरिक्त मुख्य सचिव वन हिमाचल प्रदेश की अध्यक्षता में वीडियो सम्मेलन (Video conference) की, जिसमें प्रदेश के अलग-अलग स्थानों पर स्थित अरण्यपाल तथा वन मण्डलाधिकारियों ने हिस्सा लिया।

तरूण कपूर, ने इस अवसर पर यह कहा कि वन विभाग भविष्य में लम्बे पौधों का ही पौधरोपण करेगा तथा वर्ष 2021 तक पौधरोपण की नीति को बदल कर लम्बे पौधों का रोपण करेगा। उन्होंने कहा इस संदर्भ में अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा पहले ही नर्सरी बजट व पौधरोपण बजट को पृथक कर दिया है, जिससे वर्ष 2021 के पश्चात् के लिए आवश्यक लम्बे पौधों को तैयार करने में इसी वर्ष से शुरूआत की जा सकेगी। उन्होंने यह भी बताया कि विभिन्न वृतों में इस वर्ष से एक-एक बडी नर्सरी भी तैयार की जा रही है, जिन नर्सरियों में न केवल वनों में लगाने हेतु पौधे तैयार किए जाएंगें, बल्कि स्थानीय जनता की आवश्यकता के अनुसार चारा देने वाले पौधों को भी तैयार किया जाएगा। उन्होंने आगे यह भी बताया कि नर्सरियों में स्थानीय प्रजाति के पौधों की खेप तैयार करने पर बल दिया जाएगा।

वीडियो कॉन्फ्रैंस के दौरान वन विभाग द्वारा किए जा रहे विभिन्न कार्यों की समीक्षा भी की गई तथा वर्ष 2017-18 में किए जाने वाले कार्यों की रूप रेखा भी तैयार की गई उन्होंने कहा कि वन विभाग द्वारा सूचना तकनीक (Information Technology) के क्षेत्र में कार्य किये जा रहे हैं तथा आम जनता की सुविधा के लिये बहुत से साफ्टवेयर तैयार किये गये हैं, जैसे कि सरकारी व गैर सरकारी जमीनों में वृक्षों को गिराने की अनुमति इत्यादि शामिल है। कपूर ने विभाग के क्षेत्रिय अधिकारियों को कहा कि वे पूरी मेहनत से कार्य करें, जिससे पर्यावरण की रक्षा एवं वृद्धि हेतु कार्य किए जा सकें।

वन अग्नि को लेकर विस्तार में चर्चा की गई, विभिन्न क्षेत्रिय अधिकारियों को आदेश दिए गए कि वे वनों की आग से बचाने हेतु हर सम्भव प्रयास करें तथा अपने अधिनस्त अधिकारियों व कर्मचारियों को हमेशा चौक्स रहने को कहें। यह भी कहा कि वनों की आग से निपटने के लिए स्थानीय जनता का भी सहयोग लें। उन्होंने निर्देश दिए कि वे सभी युवा मण्डलों, महिला मण्डलों, वन समीतियों व पंचायत प्रतिनिधियों के साथ दूरसंचार माध्यम से सम्पर्क में रहें, जिससे यदि कोई आग लगने की घटना होती है तो उसे तुरन्त रोका जा सके।

इस अवसर पर एस.एस. नेगी प्रधान मुख्य अरण्यपाल (हैड ऑफ फोरेस्ट फोरस), एस.के.शर्मा प्रधान मुख्य अरण्यपाल वन्य प्राणी, जी.एस. गोराया प्र.मु.अ., एस.सी. शर्मा प्र.मु.अ., विनीत कुमार प्र.मु.अ., आर.सी. कंग प्र.मु.अ. व वन विभाग मुख्यालय के अन्य अधिकारी भी शामिल थे। गौरतलब है कि क्षेत्रिय एवं वन्य प्राणी प्रभागों के मुख्य अरण्यपालों, अरण्यपालों एवं वन मण्डलाधिकारियों ने जिला मुख्यालयों के केन्द्रों में रह कर वीडियो कान्फ्रैंस में हिस्सा लिया।

रिवालसर झील में मछलियों के मरने के कारणों की समीक्षा को समिति गठित

शिमला/शैल। मण्डी जिला की रिवालसर झील में हजारों की संख्या में मछलियों के मरने की दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का जायजा लेते हुए प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक एक्वाफायर पर संभावित

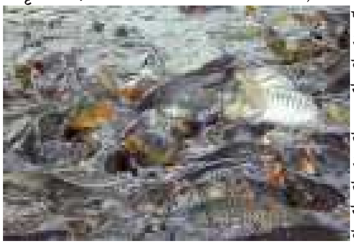

प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के मामले की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है।

समिति के अध्यक्ष मण्डी के वनमण्डलाधिकारी होंगे तथा एचपीएसपीसीबी बिलासपुर के पर्यावरण अभियन्ता, सहायक मत्स्य निदेशक मण्डी इस समिति के सदस्य होंगे, जबकि विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण राज्य परिषद के मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी वर्ग-1 कमराजा कैस्थ इसके सदस्य सचिव होंगे।

पर्यावरण, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त मुख्य सचिव तरूण कपूर ने कहा कि समिति मछलियों के मरने के कारणों तथा पूरे परिदृश्य की समीक्षा करेगी। इसके अतिरिक्त, समिति सात दिन के अन्दर सुधार सुझावों सहित अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी।

परिवहन मंत्री ने की बस दुर्घटना प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा

शिमला/शैल। परिवहन मंत्री जीएस बाली ने शिमला जिला के नेरवा के समीप निजी बस दुर्घटना में मारे गए यात्रियों के प्रत्येक परिवार को 50 हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। राज्य मुख्यालय में प्राप्त सूचना के अनुसार इस दुर्घटना में 44 यात्रियों की मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ है। उन्होंने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी शिमला के नेतृत्व में एक कमेटी गठित करने के भी निर्देश दिए, जो बस दुर्घटना के कारणों का पता लगाएगी और सात दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

अपमानित हो के जीने से अच्छा मरना है, मृत्यु तो बस एक क्षण का दु:ख देती है, लेकिन अपमान हर दिन जीवन में दु:ख लाता है। ....चाणक्य

सम्पादकीय

लालबत्ती से आगे क्या

केन्द्र सरकार ने वीआईपी कल्चर समाप्त करने की दिशा में सर्वोच्च न्यायालय के 2013 में दिये गये फैसले पर अमल करते हुए लालबत्ती के प्रयोग को बन्द करने का फैसला लिया है। मोदी से पहले यह फैसला पंजाब के मुख्यमन्त्री अमरेन्द्र सिंह ने लिया। उसके बाद यू पी में योगी सरकार ने लिया। हिमाचल में परिवहन मन्त्री जी एस बाली ने 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस के अवसर पर लालबत्ती त्यागने की घोषणा की। स्वभाविक है कि जब दो मुख्यमन्त्री और एक मन्त्री यह फैसला सार्वजनिक कर चुके थे तो मोदी जैसे व्यक्तित्व को ऐसा फैसला लेना आवश्यक था। हां मोदी के फैसले का पूरे देश पर प्रभाव पड़ेगा क्योंकि सबको इस पर अमल करना पड़ेगा। इसके लिये मोदी की पीठ थपथपायी जा सकती है।

लेकिन क्या अकेले लालबत्ती का प्रयोग बन्द करने मात्र से ही वीआईपी कल्चर समाप्त हो जायेगा? यह एक बड़ा सवाल है और अब इसके सारे संभव पक्षों पर विस्तार से विचार करने और फैसले लेने का वक्त आ गया है। किसी वाहन पर लालबत्ती लगी होने का अर्थ होता था कि उसे सड़क पर लगे लम्बे जाम मे भी अलग से रास्ता दे दिया जाता था। अब उसे सामान्य रूप से ही जाना होगा। लेकिन वीआईपी गाड़ी से आगे पीछे जो पुलिस की सुरक्षा गाड़ी चला करती थी जिसके कारण उसे अलग से रास्ता दे दिया जाता था यदि वह सुरक्षा गाड़ी अब भी वैसे ही साथ रहती है तो लालबत्ती न होने का कोई ज्यादा लाभ नहीं होगा। गाड़ी पर लालबत्ती के बाद यह लालबत्ती दफ्तर के दरवाजे पर भी रहती है। जब तक दरवाजे पर लालबत्ती जल रही है आम आदमी दफ्तर के भीतर बैठे नेता/मंत्री/ अधिकारी से नहीं मिल सकता। दरअसल वीआईपी कल्चर आज दफ्तर की प्रशासनिक संस्कृति से निकल कर एक संस्कार बन चुका है और इसका प्रयोग सामान्य नियमों/कानूनों को अगूंठा दिखवाने के रूप में किया जाता है। वीआईपी का अर्थ हर समय, हर स्थान पर प्रमुखता मिलना रह गया है। यह प्रमुखता पद से जोड़ दी गयी है और लालबत्ती आदि इसके कुछ प्रत्यक्ष प्रतीक बन चुके हैं जिनका प्रयोग मात्र ही आपकी विशिष्ठता की पहचान बन जाता है और इसी कारण वीआईपी एक रक्षा संस्कार और मानसिकता बन गयी है जिसके कारण वीआईपी और आम आदमी में एक लम्बी दूरी बन गयी है। वीआईपी कल्चर के कारण ही मन्त्री अधिकारी और उनके अधीनस्थ कर्मचारी के आवास में भी दिन रात का अन्तर देखने को मिलता है जबकि आवास परिवार की आवश्यकता के अनुरूप होना चाहिए। इसी तरह वेतन भी आवश्यकता पर आधारित रहना चाहिए। पद की वरियता के कारण इन आवश्यकताओं में दिन रात का अन्तर नहीं रहना चाहिए।

आज जब लालबत्ती का प्रयोग करने की बात हो रही है तो इसी के साथ यह भी आवश्यक है कि इन वीआईपी लोगों को जो सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की गयी है उसकी भी समीक्षा की जानी चाहिए। जब हमारे मन्त्री/अधिकारी अपने को जन सेवक कहते हैं तो उन्हे उसी जनता से खतरा क्यों है। जन सेवक तो जनता के हित के लिये काम करता है तो उसे खतरा तो तभी हो सकता है जब वो आम आदमी के हित में काम नहीं कर रहा है और उसे डर रहता है कि इसका पता आम आदमी को चल जायेगा। जब कानून की नजर में सब बराबर है तो फिर उस पर अमल भी उसी तरह का दिखना चाहिए। आज राज्यों की विधान सभाओं से लेकर संसद तक ऐसे माननीय आ चुके हैं जिन पर गंभीर अपराधिक मामले चल रहें है। कई–कई वर्षो से पहले यह मामले चल रहे है। जेलों में बैठ कर चुनाव लड़े और जीते जा रहे हैं क्योंकि अदालतों से उनके मामलों के फैसले नही आ रहे है। जन प्रतिनिधियों के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों का निपटारा एक वर्ष के भीतर करने के निर्देश सर्वोच्च न्यायालय कब का दे चुका है। आज बाबरी मस्जिद के मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले को दो वर्षों के भीतर निपटाने के निर्देश दिये हैं बल्कि सुनवाई करने वाले जज को मामले के बीच तबादला न किया जाये यह भी निर्देश दिया है। क्या ऐसी ही समयबद्धता सभी के मामलों में नही होनी चाहिये? आपराधिक मामलें झेल रहे जिन माननीयों के फैसले सालों तक नही आ रहे है क्या वह सब वीआईपी होने के कारण नही हो रहा है?

आज सर्वोच्च न्यायालय ने आडवानी, जोशी, उमा भारती आदि के खिलाफ बाबरी मामले में आपराधिक साजिश रचने के लिये मामला चलाने के निर्देश दिये हैं लेकिन इस पर उमा भारती और विनय कटियार जैसे नेताओं की प्रतिक्रिया क्या आयी है, क्या इस तरह की प्रतिक्रिया के बाद भी इन लोगों को अपने पदों पर बने रहना चाहिए? क्या यह प्रतिक्रियाएं इनके वीआईपी होने के कारण ही नहीं आ रही है? इसलिये वीआईपी कल्चर को समाप्त करने के लिये लालबत्ती से आगे भी कदम उठाने होंगे। इस संद्धर्भ में केवल मोदी से ही ऐसे कदमों की अपेक्षा है क्योंकि मोदी ही महाजनो मेन गत: स पन्था की कहावत को चरितार्थ कर सकते हैं।

एड्स से संक्रमित लोगों को समान अधिकार सुनिश्चित करना

संसद ने एचआईवी एवं एड्स संक्रमित लोगों को उपचार कराने एवं उनके प्रति किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकने हेतु समान अधिकार सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण विधेयक पारित किया है। लोकसभा द्वारा इस वर्ष 11 अप्रैल को एवं राज्यसभा द्वारा 21 मार्च को ह्यूमन इम्युनोडेफिसिएंसी वायरस (एचआईवी) एवं एक्वॉर्ड इम्युन डेफिसिएंसी सिंड्रम–एड्स (रोकथाम एवं नियंत्रण) विधेयक, 2017 पारित किया गया।

–सविता वर्मा–

भारत में एचआईवी संक्रमण पहली बार 1986 में चेन्नई में महिला सेक्स वर्करों के बीच पाया गया। हालांकि पिछले दशक के दौरान एचआईवी की व्याप्ति में लगातार कमी आती जा रही है, फिर भी भारत अभी भी दक्षिण अफ्रीका एवं नाइजीरिया के बाद दुनिया में एचआईवी महामारी से ग्रसित तीसरा सबसे बड़ा देश है। भारत में अभी हाल में पारित किया गया एचआईवी विधेयक दक्षिण एशिया में अपनी तरह का पहला विधेयक है। दक्षिण अफ्रीका एवं नाइजीरिया ने भी भेदभाव के कुछ रूपों को प्रतिबंधित करते हुए कानून पारित किए हैं। भारत में एचआईवी से ग्रसित लोगों की अनुमानित संख्या लगभग 21 लाख है। भारत में 2015 में लगभग 86 हजार नए एचआईवी संक्रमण दर्ज किए गए जो कि वर्ष 2000 की तुलना में 66 प्रतिशत गिरावट को प्रदर्शित करता है। 2015 में एड्स से संबंधित बीमारियों से लगभग 68 हजार लोगों की मौत हुई। यह विधेयक नए संक्रमणों पर अंकुश लगाते हुए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम को समर्थन देगा एवं 2030 तक इस महामारी को समाप्त करने के सतत् विकास लक्ष्य अर्जित करने में मदद करेगा।

देश में ऐसे कानून की आवश्यकता के पीछे एक मुख्य वजह यह थी कि एचआईवी/एड्स को एक प्रकार के सामाजिक कलंक एवं भेदभाव की दृष्टि से देखा जाता है। हालांकि सरकार के प्रयासों एवं सिविल सोसायटी के योगदान की वजह से इस भेदभाव में बहुत कमी आई है पर अभी भी यह भेदभाव बना हुआ है। नया कानून इस भेदभाव को समाप्त करने में काफी कारगर साबित होगा। यह विधेयक भेदभाव की व्याख्या रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं, अचल संपत्ति को किराये पर देने या वहां निवास करने, सार्वजनिक या निजी कार्यालय, बीमा एवं सार्वजनिक सुविधाओं की मनाही या इन्हें समाप्त करने के रूप में करता है। सरकार या किसी व्यक्ति द्वारा इन वर्गो में से किसी में भी अनुचित बर्ताव को भेदभाव माना जाएगा और उस पर कार्रवाई हो सकती है।

विधेयक में कहा गया है कि रोजगार प्राप्त करने, स्वास्थ्य देखभाल या शिक्षा की सुविधा प्राप्त करने के लिए किसी का भी एचआईवी परीक्षण एक पूर्व आवश्यकता के रूप में नहीं किया जा सकता। यह किसी भी व्यक्ति द्वारा एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों के खिलाफ सूचनाओं के प्रकाशन या नफरत की भावनाएं फैलाने को प्रतिबंधित करता है। गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए, यह विधेयक बिना सूचित सहमति के एचआईवी परीक्षण या चिकित्सा उपचार को प्रतिबंधित करता है। बहरहाल, सूचित सहमति में लाईसेंस प्राप्त ब्लड बैंकों द्वारा जांच, चिकित्सा अनुसंधान या कोई ऐसा उद्देश्य जहां परीक्षण गुमनाम हो और उसका उद्देश्य किसी व्यक्ति की एचआईवी स्थिति को निर्धारित करना ना हो, शामिल नहीं है। किसी एचआईवी संक्रमित व्यक्ति को उसकी एचआईवी स्थिति का खुलासा करने की आवश्यकता तभी पड़ेगी, जब उसके लिए न्यायालय का आदेश हो।

भेदभाव करने तथा गोपनीयता का उल्लंघन करने पर दंड के भी प्रावधान हैं। स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा ने कहा 'जो कोई विधेयक के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करेगा, उसे दंडित किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ दीवानी एवं आपराधिक कार्रवाई की जाएगी।' जो कोई विधेयक के कार्यान्वयन को रोकने का प्रयास करेगा, उसके खिलाफ भी कदम उठाए जाएंगे।

एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों की गोपनीयता का उल्लंघन करने पर दो वर्ष तक की कैद और एक लाख रूपये तक का आर्थिक दंड लगाया जा सकता है।

हालांकि एड्स का उपचार या एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी वर्तमान में सरकारी अस्पतालों में नि:शुल्क है। इस विधेयक में संक्रमित लोगों के उपचार को एक कानूनी अधिकार माना गया है। इसमें कहा गया है कि, 'सरकार की देखभाल और संरक्षण में प्रत्येक व्यक्ति के पास एचआईवी की रोकथाम, जांच, उपचार एवं परामर्शी सेवाओं को पाने का अधिकार होगा।' इसलिए, केंद्र एवं राज्य सरकारें संक्रमण प्रबंधन सेवाओं के साथ–साथ एड्स एवं अवसरजनित संक्रमणों के लिए उपचार उपलब्ध कराएंगी। केंद्र एवं राज्य सरकारें एचआईवी एवं एड्स के प्रचार को रोकने के लिए भी कदम उठाएंगी तथा एचआईवी या एड्स संक्रमित व्यक्तियों, विशेष रूप से महिलाओं एवं बच्चों तक कल्याणकारी योजनाओं की सुविधाएं उपलब्ध कराने में भी सहायता करेंगी। सरकार ने पिछले वर्ष एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी पर 2 हजार करोड़ रूपये व्यय किए हैं।

ह्यूमन इम्युनोडेफिसिएंसी वायरस (एचआईवी) एवं एक्वार्ड इम्युन डेफिसिएंसी सिंड्रोम–एड्स (रोकथाम एवं नियंत्रण) विधेयक, 2014 राज्यसभा में 11 फरवरी, 2014 को तत्कालीन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री गुलाम नबी आजाद द्वारा पेश किया गया था। इस विधेयक के संशोधन वर्तमान सरकार द्वारा पिछले वर्ष जुलाई में पेश किए गए थे। तब से मूल विधेयक में कई परिवर्तन किए जा चुके हैं। उदाहरण के लिए विधेयक ने 'परीक्षण एवं उपचार' नीति अंगीकार किया है जिसका अर्थ यह है कि कोई भी संक्रमित व्यक्ति राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा नि:शुल्क उपचार का हकदार होगा।

हाल में पारित विधेयक में एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के संपदा अधिकारों के प्रावधान है। 18 वर्ष से कम उम्र के प्रत्येक एचआईवी संक्रमित व्यक्ति को एक साझा परिवार में रहने का तथा परिवार की सुविधाओं का आनंद उठाने का अधिकार है। इसमें यह भी कहा गया है कि एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों से संबंधित मामलों का निपटान न्यायालयों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। अगर कोई भी एचआईवी संक्रमित या प्रभावित व्यक्ति किसी कानूनी कार्रवाई में एक पक्षकार है तो न्यायालय आदेश पारित कर सकता है कि कार्रवाई का संचालन व्यक्ति की पहचान को गुप्त रखकर, बंद कमरे में किया जाए तथा किसी भी व्यक्ति को वैसी सूचना प्रकाशित करने से रोका जाए जो आवेदक की पहचान का खुलासा करता है। एचआईवी संक्रमित या प्रभावित किसी भी व्यक्ति द्वारा दायर रखरखाव आवेदन के संबंध में कोई भी आदेश पारित करते समय न्यायालय आवेदक द्वारा उठाए जाने वाले चिकित्सा व्ययों पर विचार करेगा।

विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा अधिनियम एवं स्वास्थ्य देखभाल सेवाओँ के प्रावधान के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जांच करने के लिए लोकपाल की नियुक्ति किए जाने की आवश्यकता व्यक्त की गयी है। लोकपाल प्राप्त आवेदनों की संख्या और प्रकृति तथा की गयी कार्रवाई और पारित किए गए आदेशों के विवरण समेत प्रत्येक 6 महीने पर राज्य सरकार को एक रिपोर्ट पेश करेगा। अगर लोकपाल के आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है तो 10 हजार रूपये के आर्थिक दंड का भी प्रावधान है।

विधेयक के प्रारूप के निर्माण की प्रक्रिया 2002 में आरंभ हुई जब सिविल सोसायटी के सदस्यों, एचआईवी संक्रमित लोगों और सरकार द्वारा एक कानून बनाए जाने की आवश्यकता महसूस की गयी। यह विधेयक एक गैर–सरकारी संगठन लॉयर्स क्लेक्टिव की पहल है। यह 2006 में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (एनएसओ) को प्रस्तुत किया गया था। इस विधेयक का प्रारूप एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों, सेक्स वर्करों, समलैंगिकों, ट्रांसजैंडरों एवं नशीले पदार्थो का इस्तेमाल करने वालों, स्वास्थ्य कर्मचारियों, शिशु संगठनों, महिलाओं के समूहों, ट्रेड यूनियनों, वकीलों एवं राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटियों समेत हितधारकों के साथ राष्ट्रव्यापी सलाह मशवरों के बाद बनाया गया था।

–पसूका–

पृथ्वी मातृ दिवस

पृथ्वी मातृ को बचाने के लिए भारत की पहल

'पांडुरंग हेगड़े'

संयुक्त राष्ट्र 22 अप्रैल को एक विशेष दिवस के रूप में पृथ्वी मातृ दिवस मनाता है। 1970 में 10000 लोगों के साथ प्रारंभ किये गये इस दिवस को आज 192 देशों के एक अरब लोग मनाते हैं। इसका बुनियादी उद्देश्य पृथ्वी की रक्षा और भविष्य में पीढ़ियों के साथ अपने संसाधनों को साझा करने के लिए मनुष्यों को उनके दायित्व के बारे में जागरूक बनाना है।

2017 के विषय 'पर्यावरण और जलवायु साक्षरता' का उद्देश्य पृथ्वी माँ की रक्षा के लिए आम लोगों में इस मुद्दे के प्रति जानकारी को और सशक्त बनाया और उन्हें प्रेरित करना है।

आईपीसीसी (जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय पैनल) के मुताबिक भारत जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के मामले में सबसे कमजोर है जो स्वास्थ्य, आर्थिक विकास और खाद्य सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

जलवायु परिवर्तन की इस चुनौती के समाधान के लिए भारत ने 'राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अंशदान (आईएनडीसी) जलवायु न्याय की दिशा में कार्य करने' के उद्देश्य से एक व्यापक योजना विकसित की है। इस दस्तावेज में इस मुद्दे के समाधान के लिए समग्र रूप से अनुकूलता के घटक, शमन, वित्त, हरित प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण को शामिल किया गया है। इन लक्ष्यों के क्रियान्वयन के दौरान, विकासशील देशों के लिए स्थायी विकास और गरीबी उन्मूलन को प्राप्त करने के अधिकार के लिये न्यायोचित कार्बन उपयोग का भी आहवान किया गया है।

2030 तक 33 से 35 प्रतिशत तक कार्बन उत्सर्जन कम करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कई पहलों के माध्यम से अक्षय ऊर्जा हेतु 3500 मिलियन या 56 मिलियन अमरीकी डॉलर से 'राष्ट्रीय अनुकूलन कोष' के गठन से नीतियों की पहल की जायेगी।

इसका मुख्य केन्द्र बिन्दु वायु, स्वास्थ्य, जल और सतत कृषि की पुन: परिकल्पना के अतिरिक्त अभियान के साथ जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्यवाही (एनएपीसीसी) के अतंर्गत राष्ट्रीय अभियानों को फिर से प्रारंभ करना है।

अनुकूलन रणनीति का उपयोग भूमि और जल संसाधन के स्थायी उपयोग के लिए किया जाता है। देश भर में मृदा स्वास्थ्य कार्ड के क्रियान्वयन, जलशोधन और जल कुशल सिंचाई कार्यक्रम के उपयोग से जोखिम रहित कृषि की दिशा का मार्ग प्रशस्त होगा। जलवायु परिवर्तन संबंधी आपदाओं से किसानों को बचाने की दिशा में फसलों का कृषि बीमा एक और महत्वपूर्ण पहल है।

2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 35 गीगावॉट (गीगा वॉट) से 175 गीगावॉट तक बढ़ाने के द्वारा स्वच्छ और हरित ऊर्जा का निर्माण शमन रणनीतियों में शामिल है। सौर ऊर्जा में पांच गुना वृद्धि के साथ इसे 1000 गीगावॉट तक बढ़ाना के लक्ष्य के साथ राष्ट्रीय सौर मिशन के अतिरिक्त देश भर में बिजली पारेषण और वितरण की दक्षता बढ़ाने के लिए स्मार्ट पावर ग्रिड को भी विकसित करना है। 10 प्रतिशत ऊर्जा खपत को बचाने हेतु ऊर्जा की खपत को रोकने के लिए ऊर्जा संरक्षण की दिशा में एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है।

हालांकि ये जलवायु परिवर्तन के मुद्दे के समाधान की दिशा में सूक्ष्म स्तर की नीतियां हैं, लेकिन भारत सरकार ने ऐसी सूक्ष्म परियोजनाओं की शुरुआत की है, जो न सिर्फ ऊर्जा बचाने के लिए महत्वपूर्ण हैं बल्कि सबसे गरीब समूहों के प्रत्यक्ष लाभ में भी योगदान कर रही हैं।

नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत, उजाला योजना का शुभारंभ किया गया है जिसके अंर्तगत 22.66 करोड़ एलईडी बल्ब वितरित किए गए हैं इससे न सिर्फ 11776 करोड़ रुपये की बचत होगी बल्कि यह प्रतिवर्ष कार्बन उत्सर्जन में भी 24 मीट्रिक टन की कमी लाएगी।

इसी प्रकार से, बीपीएल कार्ड रखने वाली महिलाओं को पेट्रोलियम मुक्त एलपीजी कनेक्शन दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पहले से ही 2 करोड़ घरों तक पहुंच चुकी है और इसे 2019 तक 8 करोड़ रूपए के परिव्यय के साथ 5 करोड़ घरों तक पहुंचाने का लक्ष्य है।

इसके उपयोग से ग्रामीण महिलाओं पर सीधे प्रभाव पड़ता है, इससे स्वच्छ ऊर्जा स्रोत तक न सिर्फ आसान पहुँच प्रदान करता है बल्कि उनके स्वास्थ्य में सुधार होता है और इसके साथ-साथ वन संसाधनों पर दबाव कम होने के अलावा कार्बन उत्सर्जन भी कम होता है।

स्वच्छ भारत मिशन की एक और रणनीति शहरी क्षेत्रों में अपशिष्ट से ऊर्जा पैदा करने की पहल भी है। इसी तरह देश भर में 816 सीवेज उपचार संयंत्रों में पुर्नचक्रण के माध्यम से अपशिष्ट जल का पुन: उपयोग करके प्रतिदिन 23,277 मिलियन लीटर पानी को स्वच्छ बनाना एक और पहल है।

बंजर भूमि का पुनरुद्धार करके वन की गुणवत्ता को बढ़ाने तथा 5 मिलियन हेक्टेयर भूमि को वन क्षेत्र में बदलने के वार्षिक लक्ष्य के साथ हरित भारत मिशन एक और पहल है जिससे प्रतिवर्ष 100 मिलियन टन कार्बन को कम किया जाएगा।

पारंपरिक भारतीय संस्कृति ने मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व की आवश्यकता पर जोर दिया है। 'वसुदेव कुटंबकम' की अवधारणा के साथ पृथ्वी पर सभी जीव रूपों को एक परिवार माना जाता है और यह एक दूसरे पर निर्भरता की अवधारणा को मजबूत करता है। आधुनिक दुनिया में पृथ्वी मातृ दिवस के आगमन से पहले, वेद और उपनिषदों ने धरती को हमारी मां और मानव को बच्चों के रूप में माना है। जलवायु परिवर्तन के संकट के आगमन से पहले, हमारे पूर्वजों ने पर्यावरणीय स्थिरता की अवधारणा पर विचार किया और पृथ्वी को सुरक्षित बनाने के लिए भविष्य की पीढ़ियों तक इसे पहुँचाने का कार्य भी किया।

संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए उस वक्तव्य का स्मरण करना उचित होगा, जिसमें उन्होंने कहा कि, 'हमें तकनीकी, नवीनता और वित्त पोषण के साथ सभी की पहुंच तक सस्ती, स्वच्छ और अक्षय ऊर्जा हेतु एक वैश्विक सार्वजनिक साझेदारी बनानी चाहिए। हमें अपनी जीवन शैली में समान रूप से बदलावों को देखना चाहिए जिससे ऊर्जा पर हमारी निर्भरता कम की जा सके और हमारे उपभोग अधिक दीर्घकालीन हों। यह एक वैश्विक शिक्षा कार्यक्रम को प्रारंभ करने के समान ही महत्वपूर्ण है जो हमारी धरती मां के संरक्षण और इसकी रक्षा के लिए हमारी अगली पीढ़ी को तैयार करता है।'

इस प्रकार से, यह पर्यावरण और जलवायु साक्षरता के माध्यम से ही संभव है, जिसके परिणामस्वरूप जीवन शैली में परिवर्तन से वैश्विक स्तर पर कार्बन उत्सर्जन में कमी लाकर हम पृथ्वी माँ को बचा सकते हैं। -पसूका-

भारत ने ई-वीजा शक्ति का विस्तार किया

देश में एक नई उदारवादी ई-वीजा व्यवस्था 1 अप्रैल, 2017 से लागू हुई है। यह दुनिया भर में भारत की यात्रा की योजना बना रहे 161 देशों के नागरिकों के लिए खुशियां लाएगी। इससे ऑनलाइन आवेदन करने की निर्धारित अवधि तथा भारत में रहने की अवधि साथ-साथ ही बढ़ा दी गई है। हालांकि, भारतीय राजनायिक मिशनों द्वारा वीजा प्रदान करने की परंपरागत प्रक्रिया को बंद नहीं किया जाएगा। – प्रियदर्शी दत्ता–

वास्तव में ई-वीजा की प्रणाली पिछले सात वर्षो से शुरू हुई है। नव वर्ष दिवस 2010 पर भारत ने पांच देशों- जापान, सिंगापुर, फिनलैंड, लक्समबर्ग और न्यूजीलैंड के नागरिकों के लिए ही आगमन पर पर्यटक वीजा (टीवीओए) की शुरूआत की थी। एक साल बाद ही सरकार ने कंबोडिया, लाओस वियतनाम, फिलीपींस, म्यांमार और इंडोनेशिया के नागरिकों के लिए इस योजना का विस्तार करने का निर्णय लिया।

केंद्र में सरकार के बदलने के बाद इस प्रणाली को काफी बढ़ावा मिला। भारत की यात्रा को एक सहज अनुभव बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक यात्रा प्राधिकार (ईटीए) से युक्त आगमन पर पर्यटक वीजा (टीवीओए) की सुविधा 27 सितंबर, 2014 को शुरू की गई। टीवीओएए-ईटीए आशय और क्षेत्र में अलग था। यह 9 नामित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के माध्यम से भारत में प्रवेश के लिए 43 देशों के नागरिकों को ऑनलाइन पूर्व प्राधिकार था। इन देशों के नागरिक https://indianvisaonline-gov-in/evisa/tvoa-html वेबसाइट पर वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं, उन्हें भारत आगमन पर वीजा सौंप दिया जाएगा। यह एक एकल प्रवेश वीजा है, जो 30 दिनों के लिए वैध होगा।

हालांकि, टीवीओएए-ईटीए का नामकरण भी भ्रम से भरा था। अनेक पर्यटक यह मानते थे कि वीजा हवाई अड्डे पर उतरने पर दिया जाएगा। कुछ पर्यटक ऑनलाइन आवेदन किए बिना या स्थानीय भारतीय दूतावास से वीजा प्राप्त किए बिना ही यहां आए। इसलिए देश की नीति के अनुरूप एक नए नाम का गठन करने के लिए गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और आप्रवासन ब्यूरो (बीओआई) के अधिकारियों की एक समिति का गठन किया है। Mygov-in पर इस नाम के बारे में एक प्रतियोगिता का आयोजन करके 'ई-टूरिस्ट वीजा' को सबसे अच्छा विकल्प चुना गया। इस योजना को दोबारा ई-टूरिस्ट वीजा (ईटीवी) नाम दिया गया था, जो 15 अप्रैल, 2015 से प्रभावी हो गई। इस समय तक टीवीओए-ईटीए के तहत सरकार द्वारा पहले ही 1, 10,000 (एक लाख दस हजार) वीजा जारी किए जा चुके थे। 2015 के अंत तक, कुल 113 देशों को इस योजना के दायरे के तहत लाया गया। अगस्त 2016 तक यह संख्या बढ़कर 150 हो गई थी।

डॉ महेश शर्मा, पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने 6 फरवरी, 2017 को लोकसभा को सूचित किया कि वर्ष 2014, 2015 और 2016 के दौरान विभिन्न उद्देश्यों के लिए भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या क्रमश: 7.68 मिलियन, 8.03 मिलियन और 8.90 मिलियन (अनंतिम) रही है। इनमें से आगमन पर ई-वीजा वाले पर्यटकों की संख्या 2014, 2015 और 2016 में क्रमश: 0.39 लाख, 4.45 लाख और 10.80 लाख रही है। 149 देशों के पर्यटकों ने ई-वीजा सुविधा का लाभ उठाया।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने व्यापार को आसान बनाने, आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने तथा विदेशी मुद्रा की आय में वृद्धि करने के लिहाज से 30 नवंबर, 2016 को वीजा व्यवस्था उदार, सरल और तर्कसंगत बनाने का निर्णय लिया। इसे अभी हाल ही में 1 अप्रैल से लागू किया गया है। अब ई-वीजा में पर्यटक, व्यापार, चिकित्सा और रोजगार श्रेणियां हैं। इंटर्न वीजा और फिल्म वीजा जैसी नई श्रेणियों को भी शामिल किया है।

विभिन्न देशों के क्रूज पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए अब ई-वीजा सुविधा 24 हवाई अड्डों के साथ-साथ 3 बंदरगाहों (कोचीन, गोवा और मैंगलोर) के माध्यम से भारत प्रवेश के लिए 161 देशों के नागरिकों के लिए उपलब्ध है। जल्दी ही मुंबई और चेन्नई बंदरगाहों को ई-वीजा सुविधा के तहत शामिल किया जाएगा। ई-वीजा योजना के तहत आवेदन की अवधि को 30 दिन से बढ़ाकर 120 दिन कर दिया गया है। ताकि पर्यटक अपनी यात्रा की योजना को बेहतर ढंग से तैयार कर सके। ई-पर्यटक, ई-व्यापार वीजा पर दोहरे प्रवेश तथा ई-चिकित्सा वीजा पर तिहरे प्रवेश के साथ भारत में रूकने की अवधि को 30 दिन से बढ़ाकर 60 दिनों तक कर दिया गया है। चिकित्सा पर्यटकों के लाभ के लिए ऐसे पर्यटकों की बड़ी संख्या में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे कुछ भारतीय हवाई अड्डों पर पहुंचने वाले पर्यटकों के लिए अलग से आव्रजन काउंटर और सुविधा डेस्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

अब अधिकांश देशों के नागरिक पांच वर्ष की अवधि के लिए वह पर्यटन और व्यापार उद्देश्यों के लिए बहु प्रवेश वीजा प्राप्त कर सकते हैं। तत्काल जरूरत वाले मामलों में आवेदन के 48 घंटों के भीतर व्यापार और चिकित्सा वीजा प्रदान किए जा सकते हैं। बायोमेट्रिक नामांकन सुविधा वाले 94वीं भारतीय मिशनों ने 1 मार्च, 2017 से 5 साल के बहु प्रवेश वाले वीजा जारी करने शुरू कर दिए हैं। बाकी राजनयिक मिशनों में भी आने वाले समय में ऐसा कर दिया जाएगा।

यह लगता है कि एनडीए सरकार इस क्षेत्र में पिछली यूपीए-2 सरकार की तुलना में अधिक साहसिक कदम उठा रही है। 2014 से ई-वीजा का मुद्दा बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। नई वीजा व्यवस्था से भारत के एक अधिक अनुकूल पर्यटन स्थल बन जाने की संभावना है। इससे 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम में सुविधा मिलेगी, जिसमें विदेशी निवेशकों की अनेकों बार भारत यात्रा करने की जरूरत पड़ती है। यह योजना डिजिटल इंडिया के विजन के भी समरूप है। इस कदम से राजनयिक मिशनों का मैन्युअल भार भी कम होने की संभावना है। मिशनों की वीजा खिड़कियां उन पर्यटकों के लिए खुली रहेंगी, जो ऑफलाइन की पद्धति से आवेदन करना चाहते हैं, लेकिन दुनिया के विभिन्न देश ई-वीजा विकल्प के मार्ग को चुन रहे हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि भारत ने समय के अनुसार कदम उठाने का निर्णय लिया है। -पसूका-

शहीद के नाम पर किया वायदा भी नहीं हुआ पूरा

कांगड़ा/शैल। पठानकोट एयरबेस हमले में शहीद हुए शाहपुर के निकट सिहुंता के जाबांज संजीवन राणा की शहादत के बाद उनकी याद में शाहपुर कॉलेज का नामकरण शहीद के नाम पर करने और उनके बेटे को नौकरी देने का मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का वादा जुमला निकला है।

वीरभद्र सरकार की इस वादा खिलाफी व रवैये से गुस्से में आए शहीद के परिजनों और ग्रामीणों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध रैली निकाली और जम कर सरकार विरोधी नारे लगाए।

ग्रामीणों ने इल्जाम लगाया कि संजीवन राणा की शहादत हुए अब डेढ साल हो गया हैं, लेकिन सरकार ने शहीद के परिवार के साथ किए एक भी वादे को पूरा नहीं किया है।

याद रहे कि जब आतंकवादियों ने पठानकोट एयरबेस पर हमला किया था तो जांबाज राणा एयरबेस कैंप के एंट्री गेट पर तैनात थे। इस दौरान आतंकियों से लोहा लेते वक्त उनके सीने में पांच गोलियां समा गई। लेकिन बुरी तरह जख्मी होने के बावजूद आतंकियों का डट कर सामना किया और एक आतंकवादी को मार गिराया। आखिर में ये जांबाज सिपाही ने इस अस्पताल में इस दुनिया को अलविदा कह दिया।

संजीवन राणा की पत्नी और बच्चों को अब अफसोस इस बात का है कि उनके साथ झूठे वादे क्यों किए गए। शहीद की पत्नी, पिंकी, दो बेटियां कोमल और शिवानी और बेटा शुभम अब सरकार और तमाम नेताओं से एक ही बात पूछते हैं कि क्या देश के खातिर बलिदान देने की ऐसी ही सौगात मिलती है।

याद रहे मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने शहीद संजीवन राणा के बेटे को नौकरी व राजकीय महाविद्यालय शाहपुर का नाम शहीद के नाम रखने का वादा किया था। इसके अलावा शहीद के गांव में बस स्टॉप बनाने का भी वादा किया था। लेकिन, आज तक यह घोषणा मात्र घोषणा ही बन कर रह गई। इस मौके पर शहीद के परिजनों के साथ-साथ सिहुंवा पंचायत की प्रधान मधुबाला, उपप्रधान बिंदु राणा, वार्ड सदस्यों सुषमा, सपना, कृष्णा, नरेंद्र, विक्रम, महिला मंडल प्रधान अनीता राणा, कार्निक पाधा, कैप्टन ओंकार सिंह, हुकुम सिंह, प्रीतम सिंह, जोगिंद्र सिंह, अजय राणा, इंदिरा देवी सहित अन्य ने उपस्थिति दर्ज करवाई।

कलाकारों ने टब्बा, मैहतपुर, बड़साला तथा नारी में बताई सरकार की योजनाएं

ऊना/शैल। प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा चलाए जा रहे विशेष प्रचार अभियान के तहत आरके कलामंच, चिंतपूर्णी के कलाकारों ने ऊना विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत टब्बा तथा मैहतपुर और सरस्वती कलामंच, बिझड़ी के कलाकारों ने कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के बड़साला तथा नारी में गीत-संगीत एवं नुक्कड़-नाटक के माध्यम से लोगों को जागरुक किया।

सरस्वती कलामंच की प्रभारी बिमला राठौर ने जागो भैया जागो आज, नए दौर की यही है मांग, सरकार ने अभियान चलाया है, मिलकर हम समझेंगे आज इस गीत के माध्यम से कलाकारों ने प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि हिमाचल प्रदेश शिक्षा एवं समग्र विकास में देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य अंका गया है। उन्होंने बताया कि कल्याण योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए वार्षिक आय सीमा 20 हजार रूपये से बढ़ाकर 35 हजार रूपये कर दी गई है। उन्होंने बताया कि बेरोजगार युवाओं के कौशल विकास के लिए 500 करोड़ रुपए की कौशल विकास भत्ता योजना आरंभ की गई है जिसके तहत पात्र युवाओं को एक हजार रूपये मासिक भत्ता तथा शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को मासिक 1500 रुपए बतौर कौशल विकास भत्ता दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस अवधि में सरकार द्वारा 104 करोड़ रुपए खर्च करके 1 लाख 45 हजार 671 युवाओं को लाभान्वित किया गया।

वहीं आरके कलामंच के कलाकारों ने बताया कि खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से राजीव गांधी अन्न योजना लागू की गई है जिसके तहत लगभग 37 लाख लोगों को हर माह 3 किलो गेहूं दो रुपए प्रति किलो तथा 2 किलो चावल 3 प्रति किलो प्रति व्यक्ति की दर से प्रदान किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग में विभिन्न श्रेणियों में 9538 पद भरे गए हैं तथा 6937 शिक्षकों को नियमित जबकि 3226 शिक्षकों की सेवाएं अनुबंध पर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि महात्मा गांधी वर्दी योजना के अंतर्गत सरकारी विद्यालयों के दसवीं कक्षा तक के सभी विद्यार्थियों को निशुल्क वर्दी प्रदान की जा रही है जबकि राजीव गांधी डिजिटल विद्यार्थी योजना के तहत 10वीं तथा 12वीं कक्षा के मेधावी छात्रों को 32500 लैपटॉप/नेटबुक वितरित किए गए हैं।

इस अवसर पर ग्राम पंचायत टब्बा की प्रधान सुनीता देवी, उपप्रधान रंजीत सिंह मैहतपुर की प्रधान सीमा देवी, उपप्रधान रोहन शर्मा, सचिव जसवीर सिंह, ग्राम पंचायत बड़साला के प्रधान सुरेश कुमार, उपप्रधान कृष्ण चंद तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रोमिला, ग्राम पंचायत नारी की प्रधान स्नेह लता, उपप्रधान रामकुमार, सचिव हरदीप कौर तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता निर्मला सहित भारी संख्या में स्थानीय ग्रामीण उपस्थित थे।

चम्बा रुमाल भौगौलिक संकेतक पर कार्यशाला आयोजित

चम्बा/शैल। राज्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद, (SCSTE), हिमाचल प्रदेश, चम्बा रुमाल भौगौलिक संकेतक पर बचत भवन, चम्बा मे कार्यशाला का आयोजन किया। परिषद् के अंतर्गत कार्य कर रहे हिमाचल प्रदेश एकस्व सूचना केन्द्र (HP Patent Information Centre) की पहल पर चम्बा रुमाल को भारत सरकार के चेन्नई स्थित भौगौलिक संकेतक (Geographical Indication) पंजीयक कार्यशाला द्वारा वर्ष 2007 में जी आई संख्या 79 के अधीन पंजीकृत करवाया गया है। इस वर्ष अर्थात् 2017 में इसके नवीनीकरण के लिए आवेदन किया जाना है। पंजीकरण के उपरांत कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें सम्बोधित करने की आवश्यकता है। इन मुद्दों में मुख्य हैं- सभी चम्बा रुमाल शिल्पकारों को जी आई चम्बा रुमाल की authorised usership प्रदान करवाना, चम्बा रुमाल के व्यापार के लिए कार्यनीति तैयार करना। इसके अतिरिक्त, युवाओं का चम्बा रुमाल के पारम्परिक कला के प्रति घटती रुचि चिंता का विषय है।

कार्यशाला के दौरान सभी चम्बा रुमाल के प्रतिनिधियों से इसकी uthorised usership(AU) ग्रहण करने के लिए आग्रह किया गया वे सभी भारत सरकार के भौगौलिक संकेतक अधिनियम 1999 के अंतर्गत प्राप्त प्रावधानों का इस्तेमाल करते हुए अधिक से अधिक आर्थिक लाभ ले सकें। जी आई की authorised usership ग्रहण करना सभी शिल्पकारों के लिए आवश्यक है, इसके अभाव में कोई भी शिल्पकार 'चम्बा रुमाल' के नाम से अपने उत्पाद नहीं बेच सकता है। उपरोक्त सभी बिंदुओं पर चर्चा एवं निर्णय हेतु राज्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद् इस महत्वपूर्ण कार्यशाला का चम्बा में आयोजन कर रहा है।

लॉ कमिशन के विरोध में उतरे वकील

कमिशन के अध्यक्ष का पुतला फूंक हटाने की की मांग

शिमला/शैल। एडवोकेट एक्ट में संशोधन की लॉ कमिशन की सिफारिश के खिलाफ वकीलों ने राजधानी में जिला अदालत चक्कर में शिमला जिला बार एसोसिएशन ने हड़ताल करते हुए लॉ कमिशन के अध्यक्ष जस्टिस बी एस चौहान का पुतला फूंका व नारेबाजी की। इसे अलावा एसोसिएशन ने लॉ कमिशन के अध्यक्ष जस्टिस चौहान से इस्तीफा देने की मांग की व अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो उन्हें उनके पद से हटा दिया जाना चाहिए।

इस मौके पर शिमला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पी एस नेगी ने कहा कि प्रस्तावित संशोधन वकील विरोधी व इसका जमकर विरोध किया जाएगा। इस मौके पर वकीलों ने मार्च भी निकाला। उन्होंने एलान किया कि दो मई को इस संशोधन के खिलाफ दिल्ली में देश भर के वकील एकजुट होंगे व राष्ट्रपति को ज्ञापन देगें। उस दिन हिमाचल से भी बड़ी मात्रा में वकील दिल्ली जाएंगे। उन्होंने कहा कि देश भर के वकीलों के अलावा बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी ये मानती हैं प्रस्तावित संशोधन वकीलों की आजादी को समाप्त कर देंगे व जो वकील नहीं हैं वो वकीलों से जुड़े मसलों पर फैसले लेने लगेंगे।

नेगी ने कहा कि व्यावसायिक आचरण की जो परिभाषा प्रस्तावित संशोधन में शामिल की गई हैं उससे वकीलों को अपना काम(प्रैक्टिस) स्वतंत्रता से करना मुश्किल हो जाएगा।

उन्होंने कहा कि शिमला जिला बार एसोएिशन अपनी ओर से बार काउंसिल ऑफ इंडिया की कॉल का पूरा समर्थन करती हैं। उन्होंने वकीलों से आग्रह किया कि वो दो मई को दिल्ली में होने वाले प्रदर्शन में ज्यादा से ज्यादा तादाद में शामिल हो।

युंका पदाधिकारी दबाव में कर रहे घटिया ब्यानवाजी:भाजपा

शिमला/शैल। कानून के कसते शिकंजे से युंका अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह तिलमिलाहट में हैं जिला भाजपा के मीडिया प्रभारी अंकुश दत्त शर्मा ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा की भाजपा नेता अरुण धूमल के विरुद्ध युंका पदाधिकारियों द्वारा दिए जा रहे अमर्यादित ब्यान इसी तिलमिलाहट का प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। जिस तरह से पिछले कुछ समय में आय से अधिक सम्पति के मामलो में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनके परिवार सहित 9 लोगों पर ईडी विभाग ने शिकंजा कसा है उससे युंका अध्यक्ष विचलित हुए हैं और अपना गुस्सा अरुण धूमल पर ब्यानों में निकाल रहे हैं। युंका के पदाधिकारी भी दबाव में हैं और इसी दबाव के चलते युंका पदाधिकारियों को अरुण धूमल के विरुद्ध घटिया ब्यानवाजी मजबूरी में करने पड़ रही है। जिस अथाह सम्पति और बाग-बगीचों की धौंस युंका पदाधिकारी दिखा रहे हैं, वो कैसे भ्रष्टाचार से अर्जित की गयी है वह जनता के सामने अब आ गया है, और जो व्यक्ति उस सम्पति की देखभाल करता था अब तिहाड़ जेल के सुरक्षा कर्मी उसकी सुरक्षा कर रहे हैं। ऐसे में यदि उन बाग-बगीचों की देख भाल करने और उस सम्पति को सम्भालने की सलाह युंका अध्यक्ष को कोई दे रहा है तो युंका पदाधिकारियों को क्या आपत्ति हो रही है। युंका पदाधिकारी सयंम बरते, धौंस और हैसियत जैसे विषयों पर ब्यान देने से पहले विक्रमादित्य सिंह से सलाह मशबरा कर लिया करें। क्योंकि अरुण धूमल कौन है यह विक्रमादित्य सिंह तो क्या उनके पिता वीरभद्र सिंह भी भली भांति जानते हैं। जिनको रात दिन सोते जागते अब सपनों में भी और ख्यालों में भी अरुण धूमल ही याद आते हैं। अरुण धूमल के सुझावों को युंका अध्यक्ष को सकारात्मक रूप में लेना चाहिए। क्योंकि जो भी तथ्य अभी तक सामने आये हैं जनता उनसे वीरभद्र सिंह और बिहार के लालू प्रसाद यादव में ज्यादा फर्क नहीं समझ रही। एक ने चारा खाया और एक के सेब स्कूटरों पर ढोए गये, बाद में लालू के बेटों को अपने ही विभागों में जंगल की मिट्टी बेचने पड़ी। विक्रमादित्य सिंह के साथ ऐसा न हो तो अरुण धूमल ने उन्हें अच्छा काम सीखने और करने की सलाह दी है। युंका की मजबूरी समझी जा सकती है लेकिन ब्यानों में मर्यादा की सीमा लांघना किसी कीमत पर सहनीय नहीं होगा। अरुण धूमल के प्रति द्वेषपूर्वक या फिर मजबूरी में दिए गये ब्यानों के लिए युंका पदाधिकारियों को माफी मांगनी चाहिए। युंका पदाधिकारी न भूलें की विक्रमादित्य सिंह के पास जो भी पद है वो उनके पिता के मुख्यमंत्री पद के प्रभुत्व के कारण ही मिला हुआ है।

शिमला से प्रकाशित | शैल साप्ताहिक सोमवार 17 – 24 अप्रैल 2017 | 7

राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय न्यायमूर्ति मंसूर अहमद मीर के कार्यकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि

शिमला/शैल। हि.प्र. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मंसूर अहमद मीर ने हि.प्र. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार 27 नवम्बर, 2013 को संभाला था और वह 24 अप्रैल, 2017 को सेवानिवृत हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने समाज के बड़े वर्ग तथा राज्य हित के मामलों में अनेक महत्वपूर्ण फैंसले लिए।

हि.प्र. उच्च न्यायालय में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने न्यायालय में मुकद्दमों की लंबितता को कम करने के लिए भरसक प्रयास किए। परिणामस्वरूप हि.प्र. उच्च न्यायालय में लम्बित मामलों की संख्या 59133 से घटकर 29800 तक पहुंच गई, जबकि 5 वर्ष से अधिक पुराने लम्बित मामलों की संख्या 10135 से घटकर 6735 पर आ चुकी है।

इस दौरान उन्होंने एकल बेंच के 3196 मामलों सहित कुल 35710 मामलों का निपटारा किया। मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 72 करोड़ रुपये, जबकि भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत 10-15 करोड़ रुपये की राशि वसूली गई।

हि.प्र. उच्च न्यायालय में मार्च, 2012 से अप्रैल, 2017 की अवधि के दौरान 25 लोक अदालतों का आयोजन किया गया, जिनमें 2382 मामले आए और 390 का निपटारा किया गया। मध्यस्थता व्यवस्था को विशेष तवज्जो प्रदान की गई और राज्य में इस व्यवस्था के तहत सुनवाई के लिये 6996 मामले आए, जिनमें से 1638 का निपटारा किया गया।

न्यायमूर्ति मीर ने अपने कार्यकाल के दौरान हि.प्र. उच्च न्यायालय में विभिन्न श्रेणियों की 367 नियुक्तियां तथा पदोन्नतियां की। इसके अतिरिक्त, न्यायालय परिसर में सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए गए तथा सौर उर्जा प्लांट लगाकर बिजली के खर्च में कटौती की गई। न्यायिक अभिलेखों के डिजीटाईजेशन को प्राथमिकता प्रदान की गई और 27.50 लाख रुपये की लागत से एसएएन स्टोरेज उपकरण स्थापित किया गया। मौजूदा डिजीटल डिस्प्ले प्रणाली को आधुनिक तकनीक में बदलने के लिए 41.41 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया गया।

ई-न्यायालय शुल्क प्रणाली लागू की गई तथा राज्य के सिविल व सत्र मण्डलों के सभी 11 मुख्यालयों में वीडियो कांफ्रेसिंग सुविधा का परिचालन किया गया। उच्च न्यायालय में अधिवक्ताओं तथा वादी-प्रतिवादियों की सुविधा के लिए मामलों तथा निर्णयों की जानकारी जैसी विशेषताओं वाली मोबाईल ऐप शुरू की गई।

राज्य में विधिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना इनके कार्यकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि रही और इसका संचालन भी शुरू किया गया। इस विश्वविद्यालय का परिसर शिमला जिला के घंडल में बनाया जा रहा है, जिसके लिए पहले ही बजट का प्रावधान किया गया है।

हि.प्र. उच्च न्यायालय में 50 लाख रुपये की लागत से एक व्यायामशाला की स्थापना की जा रही है।

राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों में जनवरी, 2014 से मार्च, 2017 के बीच 11,18,428 मामलों का निपटारा किया गया है। इसके अलावा राज्य भर में आयोजित लोक अदालतों में 3.21 लाख मामले निपटाए गए।

हि.प्र. न्यायिक अकादमी परिसर के प्रथम चरण का निर्माण लगभग पूरा होने वाला है जबकि छात्रावास खण्ड का लोकार्पण पहले ही किया जा चुका है। 51.78 करोड़ रुपये लोक निर्माण विभाग को स्थानांतरित कर दिए गए हैं। अकादमी द्वारा 188 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनमें 3934 न्यायिक तथा राज्य सरकार के अन्य अधिकारियों ने प्रशिक्षण प्रदान किया है।

इसके अतिरिद्व, हि.प्र. न्यायापालिका पर्यावरण के संरक्षण व संवर्धन में भी शामिल रही है और स्कूली विद्यार्थियों के माध्यम से प्रदेशभर में 8 लाख पौधे रोपित किए गए। नशा निवारण योजना का प्रभावी कार्यान्वयन किया गया। राज्य में 5107 विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन किया गया, जिनमें 338670 लोगों को लाभान्वित किया गया।

केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिये पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाने का आग्रह:मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाने का आग्रह किया है, ताकि इन योजनाओं का समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम, त्वरित सिंचाई कार्यक्रम (जो अब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का हिस्सा है) तथा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम जैसी कुछ केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए धन आवंटन में भारी कमी की गई है, जिसके परिणामस्वरूप इस योजना के अंतर्गत जो कार्य चले हुए है उन्हें पूरा करने में कठिनाई आ रही है।

मुख्यमंत्री आज राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में नीति आयोग की शासकीय परिषद की तृतीय बैठक में बोल रहे थे।

उन्होंने कहा कि त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत 105 करोड़ रुपये तथा बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम के तहत 125 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति राशि केन्द्रीय सरकार के पास लंबित पड़ी है। उन्होंने कहा कि राज्य को राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत वर्ष 2013-14 में प्राप्त निधि से गत तीन वर्षों के दौरान 148 करोड़ रुपये की कम राशि प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत जहां 2013-14 में 77.40 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई थी, वहीं वर्ष 2016-17 में केवल 52.76 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

मुख्यमंत्री ने पर्वतीय राज्यों में कृषि क्षेत्र पर अधिक निवेश की आवश्यकता के दृष्टिगत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत आवंटन में वृद्धि का आग्रह किया।

वीरभद्र सिंह ने कहा कि राज्य के 12 राजकीय महाविद्यालयों में वर्ष 2017-18 से 1000 विद्यार्थियों के लिये व्यावसायिक शिक्षा में स्नातक पाठयक्रम शुरू करने के अलावा अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिये कौशल विकास पाठयक्रमों को जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे के मानदण्डों को पूरा करने के लिये हि.प्र. कौशल विकास निगम ने कौशल प्रशिक्षण के लिये आठ क्षेत्रों में 1080 प्रशिक्षुओं के लिये प्रायोगिक परियोजना आरम्भ की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने विभिन्न कौशल उन्नयन कार्यक्रमों के अंतर्गत कुछ पात्रता मापदंण्डों सहित प्रशिक्षुओं को कौशल विकास भत्ता प्रदान करने का कार्यक्रम आरम्भ किया है। योजना के तहत अभी तक एक लाख 60 हजार युवा लाभान्वित हुए हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य ने 2016 में खुले में शौचमुक्त (ग्रामीण) के शत-प्रतिशत लक्ष्य को हासिल किया है। उन्होंने कहा कि स्कूलों में सफाई तथा स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिये प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूलों को पुरस्कार प्रदान करने की योजना बनाई गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आर्थिकी के समावेशी तथा स्थाई विकास के लिए 15 वर्ष का विजन, सात वर्षीय रणनीति तथा तीन वर्षीय कार्य योजना तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि 69 अनुश्रवणीय लक्ष्यों की मदद से सतत् विकास के 17 लक्ष्यों को हासिल किया जाना है।

वीरभद्र सिंह ने कहा कि राज्य ने आधार पंजीकरण में शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लिया है तथा अक्तूबर, 2014 में मनरेगा मजदूरों का वेतन आधार के माध्यम से सीधे उनके खाते में जमा करवाने में प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। परिवार रजिस्टर को डिजिटाईज करने में भी हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है और प्रदेश के सभी घरों की सूचना ऑनलाईन प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश स्मार्ट शासन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में बेहतर प्रयास कर रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश जीएसटी कानून पास करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और जीएसटी कार्यशालाओं तथा सेमीनारों का आयोजन किया जा रहा है तथा हेल्प डेस्क की स्थापना की जा रही है, जो व्यवसासियों की समस्याओं का समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा।

नियमों की आड़ में राजनेता और अफसरशाही कर्मचारियों को करती है प्रताड़ित:विनोद कुमार

शिमला/शैल। देश से वी.आई.पी. संस्कृति पर लगाम कसने की कवायत के बाद भारत सरकार द्वारा सिविल सेवा के अधिकारियों की जी-हजूरी और चापलूसी पर रोक लगाने की दिशा में जारी निर्देशों की सराहना करते हुए हिमाचल प्रदेश कर्मचारी परिसंघ ने कहा है कि मोदी सरकार का यह फैसला व्यवस्था के बेहतर सुशासन का एक अच्छा संकेत है जो इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि अफसरशाही के पास यदि शक्तियां हैं तो वह जबावदेही, पारदर्शी और जिम्मेवारी भी तय करती हैं जिसका आज तक व्यवस्था में अभाव रहा है। परिसंघ ने प्रधानमन्त्री मोदी के सिविल सेवा दिवस के उपलक्ष्य पर उस वक्तव्य को जन-कल्याण एवं जन-भावनाओ के संरक्षण एवं संवर्धन वाला बताया है जिसमें उन्होंने सिविल नौकरशाहों को तेज फैसले लेने के परिणामों से डरे नहीं, चूंकि वे जनहित में ईमानदार निर्णय लेने वालों के पीछे खड़े रहेंगे, प्रधानमन्त्री का यह आश्वासन देश की नौकरशाही को उनके मन मस्तिश्क को बदलने के लिए व्यवस्था में एक संजीवनी है। इसलिए वर्तमान दौर में देश की नौकरशाही को अपनी नाकारात्मकता और उदासीनता को त्याग कर देश के जन-कल्याण में अपनी अहम भूमिका निभाने में काम करें। परिसंघ के अध्यक्ष विनोद कुमार ने राज्य सरकार से भी यह मांग की है कि भारत सरकार के इन दिशा-निर्देशों को राज्य की नौकरशाही पर भी तुरन्त लागु करें तभी प्रधानमन्त्री मोदी की देश हित में यह दे ाव्यापी सोच कारगर साबित हो पायेगी।

परिसंघ अध्यक्ष विनोद कुमार ने कहा है कि जिस प्रकार से भारत सरकार ने ऐसे बहुत से कानून की धारायें जो आज समाज और व्यवस्था पर बोझ बन चुकी थी, उनको समाप्त करने का कार्य किया है उसी तरह सी.सी.एस. कन्डट रूल में भी ऐसे बहुत से नियम हैं जो 1964-65 के हैं, जो ब्रिटिश राज़ के समय बने नियमों की कापी है और ऐसे नियमों की आड़ में राजनेता और अफसरशाही ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रताड़ित और अपमानित करती है जो सरकारी सेवा में अपनी जिम्मेवारियों को ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा से करना चाहते हैं। यही बजह है कि सरकारी व्यवस्था देश के आजाद होने के इतने वर्षो बाद भी पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त और जनमानस के प्रति जबावदेही वाली नहीं हो पाई है, जिसको लेकर आज देश के प्रधानमन्त्री प्रयासरत है और इसी ही सन्दर्भ में हिमाचल प्रदेश कर्मचारी परिसंघ कुछ ऐसे उन नियमों के निरस्त करने या संशोधन करने का आग्राह एक पत्र के द्वारा राज्यपाल के माध्यम से प्रधानमन्त्री को भेजेगा। परिसंघ ने कहा है कि प्रदेश के कई आला -नौकरशाहों ने अपनी शक्तियों के प्रभाव एवं दुरूपयोग से बेनामी सम्पतियां खड़ी की हैं, सरकार को ऐसे नौकरशाहों की सम्पतियां खंगाल कर जांच ऐजेन्सियों के साथ अटैच करने की मांग की है ताकि प्रदेश के खजाने को लूटने वालों के चेहरे बेनकाब किए जायें।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन भरमौर का निर्माण कार्य जल्द होगा आरम्भ

शिमला/शैल। भरमौर उपमण्डल के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन भरमौर का निर्माण कार्य जल्द ही आरम्भ कर दिया जाएगा। वन एवं मत्स्य मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी ने संयुक्त कार्यलय भवन पट्टी में अपने कार्यालय में आयोजित बैठक में यह जानकारी दी। वन मंत्री ने कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य भवन का निर्माण नई तकनीक ई.पी.एस. टैक्नोलाजी से करवाया जाएगा, जिस की तमाम औपचारिकताएं एक सप्ताह में पूर्ण करने के भी उन्होंने आदेश दिये। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन का निर्माण हिमुडा द्वारा करवाया जाएगा तथा इस वितिय वर्ष में ओ.पी.डी. व ओ.टी. के लिए प्लान तैयार किये जाएंगे। हिमुडा द्वारा तैयार किये गये भवन के प्रारूप की वन मंत्री ने समीक्षा की और मुख्य प्रारूपकार हिमुडा नगर नियोजन एवं शहरी विकास विभाग को निर्देश दिये की भवन के कार्य से पहले प्रौटेक्शन वर्क को अमलीजामा पहनाएं। इससे पूर्व भवन के निर्माण को लेकर गठित संयुक्त टीम ने पट्टीनाला में भूमि का निरिक्षण किया। ए डी एम भरमौर विनय धीमान, सी एम ओ चम्बा विनोद शर्मा, निदेशक लेवन-9 कम्पनी मनोज अरोडा, अधिशासी अभियन्ता हिमुडा

धर्मशाला सर्कल सदींप सेन ने मौके पर जाकर सामुदायिक स्वास्थ्य भवन के निर्माण के तमाम तकनीकी पहलुओं का बारीकी से निरिक्षण उपरान्त वन एवं मत्स्य मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी को प्रगति रिपोर्ट से अवगत करवाया।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिटंर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

क्या वीरभद्र विधान सभा भंग करने का फैसला लेंगे

शिमला/शैल। मुख्यमन्त्री वीरभद्र सिंह के गिर्द सीबीआई और ईडी जांच का घेरा जैसे - जैसे बढ़ता जा रहा है उसी अनुपात में कांग्रेस संगठन के अन्दर भी एक तरह की अराजकता का वातावरण पनपता जा रहा है। इस दौरान न तो मन्त्रीमण्डल की ओर से और न ही संगठन की ओर से वीरभद्र के साथ खड़े रहने का कोई सामूहिक ब्यान या दावा सामने आया है। जबकि इस दौरान कांग्रेस के कई मन्त्रियों और विधायकों के पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होने की चर्चाओं का बाजार गर्म है क्योंकि इससे पहले कांग्रेस के सहयोगी सदस्य रहे निर्दलीय विधायक बलवीर वर्मा ने अचानक भाजपा का दामन थामने का एलान कर दिया। इसी तरह जब अन्य निर्दलीय विधायकों को राहूल गांधी के साथ भेंट करवायी गयी उसके तुरन्त बाद इनके भाजपा में शामिल होने की चर्चा सामने आ गयी जिसका इनमें से किसी ने भी खण्डन नहीं किया क्योंकि इस समय एक बार फिर उसी तरह कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल होने का दौर शुरू हो गया है। जैसा कि यूपी और उत्तराखण्ड विधानसभा चुनावों के दौरान हुआ था और उससे पहले लोकसभा चुनावों के दौरान भी ऐसा हुआ था। कुल मिलाकर कांग्रेस को लेकर एक ऐसा राजनीतिक वातावरण बन चुका है। जिसमें हर अफवाह पर विश्वास करने की स्थिति बन गयी है।

ऐसे में यदि प्रदेश की राजनीतिक स्थिति का आकलन किया जाये तो यह सामने है कि वीरभद्र सिंह के खिलाफ आये से अधिक संपति मामले

में सीबीआई ट्रायल कोर्ट में चालान दायर कर चुकी है। इस मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की वीरभद्र की गुहार को दिल्ली उच्च न्यायालय अस्वीकार कर चुका है। अब इसमें देर-सवेर आरोप तय होने की नौबत आ गयी है। इसी तरह ईडी मनीलॉड्रिंग में दूसरी अटैचमैन्ट जारी करने के बाद वीरभद्र सिंह से लम्बी पूछ-ताछ कर चुका है। इस मामले में दोबारा कभी भी बुलाये जाने की तलवार लटकी ही हुई है। जबसे ईडी की यह कारवाई शुरू हुई है उसके बाद से प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सुक्खु विधानसभा स्पीकर बुटेल स्वयं मुख्य मन्त्री वीरभद्र सिंह, स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह, परिवहन मन्त्री जी एस बाली और राज्य सभा सांसद विपल्व ठाकुर, सोनिया गांधी से भेंट कर चुके हैं। भले ही इन नेताओं ने अपने मिलने को शिष्टाचार भेंट कहा है लेकिन राजनीतिक विश्लेषक जानते हैं कि इन मुलाकातों में प्रदेश के राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई है। मुख्यमन्त्री वीरभद्र सिंह तो राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी से भी मुलाकात कर आये हैं।

इस समय यदि कांग्रेस के पांच छः विधायक/ मंत्री पार्टी छोड़ देते है तो सरकार तुरन्त प्रभाव से अल्पमत में आ जायेगी । उस स्थिति में मुख्यमन्त्री के पास सदन में अपना बहुमत सिद्ध करने या फिर विधान सभा भंग करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नही रह जाता है क्योंकि सरकार के अप्लमत में आते ही भाजपा सरकार बर्खास्तगी की मांग करेगी। उस परिदृश्य में राज्यपाल की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। सरकार को बहुमत सिद्ध करने का समय देने या सीधे केन्द्र और राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजने की स्थिति आ जाती है। विश्लेषकों का यह स्पष्ट मानना है कि प्रदेश में यह स्थिति कभी भी आ सकती है। मुख्यमन्त्री की राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद संभावना ज्यादा चर्चा में है। अभी नगर निगम शिमला के चुनाव होने जा रहे है। यह चुनाव पार्टी के चिन्ह पर लड़े जायें या नही, इसको लेकर मुख्यमन्त्री वीरभद्र सिंह और पार्टी अध्यक्ष सुक्खु में मतभेद चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमन्त्री यह चुनाव पार्टी चिन्ह पर लड़ना चाहते हैं लेकिन सुक्खु इसके पक्ष में नही है। संगठन के कई मुद्दों पर वीरभद्र और सुक्खु में मतभेद खुलकर सामने आ चुके हैं। हमीरपुर जिले में सुक्खु की अध्यक्षता में पार्टी दो उपचुनाव हार चुकी है। इसे सुक्खु की व्यक्तिगत हार माना जा रहा है क्योंकि हमीरपुर सुक्खु का गृह जिला है।

दूसरी ओर भाजपा की अभी राष्ट्रीय परिषद् की बैठक के बाद यह चर्चाएं लगातर सामने आ रही हैं कि भाजपा ने प्रदेश विधानसभा के चुनावों के लिये अभी से रणनीति बना ली है। अभी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी शिमला आ रहें है। मोदी के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमितशाह मई में प्रदेश दौरे पर आ रहे है। मोदी और शाह की इन प्रदेश यात्राओं को विधानसभा चुनावों की पृष्ठभूमि में ही देखा जा रहा है लेकिन भाजपा की इन चुनावी तैयारीयों के मुकाबले में कांग्रेस की ओर से सरकार और संगठन के स्तर पर कुछ भी नजर नही आ रहा है। कांग्रेस के मन्त्रीयों ने भी अपने को अपने चुनाव क्षेत्रों तक ही सीमित करके रख लिया है। इस समय वीरभद्र के बाद पार्टी के अन्दर दूसरी पंक्ति का नेतृत्व नही के बराबर है। वीरभद्र के बाद पार्टी का दूसरा बड़ा नेता कौन है? पार्टी को कौन आगे संभाल सकता है? इसको लेकर जनता तो दूर स्वयं पार्टी के विधायकों तक को यह स्थिति स्पष्ट नहीं है। अधिकांश विधायक नेतृत्व के प्रश्न पर कुछ भी कहने की स्थिति में नही है क्योंकि अब तक जिस भी नेता ने इस मुद्दे पर स्वर उभारने का प्रयास किया ओर दो चार विधायकों को साथ जोड़ा उसी ने वीरभद्र से अपने दो चार व्यक्तिगत काम निकलवाकर अपने को शांत कर लिया। फिर इस समय भाजपा देश को कांग्रेस मुक्त करने के अभियान पर है और इसके लिये कांग्रेस नेताओं का अपने में शामिल करने की योजना पर काम कर रही है। इस समय प्रदेश में भाजपा के पास भी लगभग एक दर्जन सीटों पर कांग्रेस के मुकाबले के लिये कोई बड़े सशक्त चेहरे नही है। ऐसे में इस समय भाजपा के पक्ष में राष्ट्रीय स्तर पर जो हवा बनी हुई है उसके सहारे हिमाचल में कांग्रेस के अन्दर तोड़-फोड़ कोई ज्यादा कठिन नहीं होगा। इसके लिये चुनावों में टिकट के ठोस आश्वासन से अधिक कांग्रेसीयों को कुछ नही चाहिए। टिकट का आश्वासन पाकर वह अगले पांच साल अपने लिये सुरक्षित कर लेते हैं।

माना जा रहा है कि वीरभद्र भी इन राजनीतिक संभावनाओं पर बराबर नजर बनाये हुए है। जैसे ही सीबीआई की चार्जशीट और ईडी की कारवाई आगे बढ़ेगी उसी के साथ वीरभद्र विधानसभा भंग करने का ऐलान कर सकते हैं क्योंकि ऐसी कारवाई के बढ़ने के साथ ही सरकार का गिरना निश्चित हो जायेगा। ईडी कभी भी दोबारा बुला सकती है। सूत्रों के मुताबिक 21 को मेडिकल कारणों से ईडी में नही जा सके थे क्योंकि रात को ही मैडिकल सहायता की आश्वयकता आ पड़ी थी

चूनावी वर्ष में भू-मालिकों को मिली बड़ी राहत

- ✔ 23 प्रजातियों के वृक्षों के काटने /गिराने पर लगा प्रतिबन्ध हटा
- ✔ 24 प्रजातियों की वन उपज के ट्रांजिट परमिट पर मिली छूट

शिमला/शैल। हिमाचल सरकार ने प्रदेश के किसानों/ भू-मालिकों को एक बडी राहत देते हुए निजि भूमि से 23 प्रजातियों के वृक्षों को काटने/गिराने पर लगे प्रतिबन्ध को हटा लिया है। इसी के साथ 24 प्रजातियों के वृक्षों की वन उपज पर ट्रांजिट पास पर लगी छूट को भी तुरन्त प्रभाव से हटा लिया है। यह आदेश भू परिक्षण अधिनियम 1978 के तहत जारी किये गये हैं। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के हजारों भू-मालिकों को एक बड़ी राहत मिली है। भू-मालिकों की निजि भूमि पर इन प्रजातियों के वृक्ष होते हैं लेकिन इनके काटने पर प्रतिबन्ध होने के कारण मालिकों को इनका लाभ नही मिल पा रहा था। यह वृक्ष भवन निमार्ण कार्यों में प्रयुक्त होते हैं। इस नाते इनकी बाजार में भी मांग रहती है। इनमें से अधिकांश की वन उपज भू-मालिकों के लिये कैश क्राप की तरह लाभदायक सिद्ध हो सकती है। लेकिन इस उपज को बाजार में ले जाने के लिये ट्रांजाटि परमिट नहीं मिल पाता था जिसके कारण भू-मालिक इस लाभ से वांच्छित रह जाते थे।

इस समय प्रदेश में अवैध काटन और वनभूमि पर अतिक्रमण की दो बड़ी समस्याएं चल रही है। सरकार ने छोटे भू-मालिकों को अतिक्रमण के मामलों में एक सीमा तक राहत देने की योजना बनाई है। इसके लिये प्रदेश उच्च न्यायालय से भी आग्रह कर रखा है। अतिक्रमणों को नियमित करने के लिये वर्ष 2002 में एक पॉलिसी बनाई गयी थी जिस पर आज तक अमल नही हो पाया है। लेकिन भू-मालिक इससे भी ज्यादा इस बात से परेशान थे कि उनको अपनी ही जमीन से पेड़ काटने की अनुमति नही थी। अपनी वन उपज को बाजार तक नही ले जा पा रहे थे। अपनी ही जमीन से पेड़ काटने पर अवैध कटान के आरोपी हो जाते थे। अब यह प्रतिबन्ध हटने से भू-मालिकों को एक बहुत ही बड़ी राहत मिली है। इस वर्ष प्रदेश विधानसभा के चुनाव होने है इस नाते सरकार के इस फैसले से चुनावी परिदृश्य पर भी असर पड़ने की पूरी संभावना है।

यह है प्रजातियां जिन पर से प्रतिबन्ध हटाया गया है

काला सिरिस/ओई/सिरिस, कचनार/ करयाल, सफेदा, किमू/ चिमू/शहतूत/तूत/ मलबैरी, पॉपलर, भारतीय विलो/बीयूंश,बैम्बू, क्लमस/लाठी बांस/मग्गर/धरेंच/ बांस, जापानी शहतूत/पेपर मलबैरी, पेइक/कोई/कोश/ कुनिश/न्यून, खिड़क/खड़की, दरेक बकिन, फगूडा/फेगुडा/त्यामल/ तिमला/ तिरमल/अंजीरी/कलस्टर फिग/ गुलर, तून, जामुन, टीक/ सगुन/सागवान, अर्जुन, सेमल/ शलमाटास, बिहूल/बेयूल/भिमल/ भियूनल/धामन, पाजा/ पदम, कामला/रैनी/रोहण/रोहिन /सिन्दूरी, आम (वन्य प्रजाति) रिष्टक/रीठा/डोडे, बान,(अधिकतम पांच वृक्ष घरेलु उपयोग हेतु) को काटने पर से प्रतिबन्ध हटा दिया गया है। तथा 24 प्रजातियों की वन उपज के अभिवहन पास ट्रांसिट परमिट पर छुट दी गई है जिनमें काला सिरिस/ओई/सिरिस, कचनार/ करयाल, सफेदा, किमू/चिमू/ शहतूत/ तूत/मलबैरी, पॉपलर, भारतीय विलो/ बीयूंश, बैम्बू, क्लमस/लाठी बांस/मग्गर/ धरेंच/बांस, कुठ (सासोरिया कोस्टस/लापा) का निर्यात तथापि वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की अपेक्षा पूर्ण करने के अध्यधीन होगा, काला जीरा, जापानी शहतूत/पेपर मलबैरी, पेइक/कोई /कोश / कुनिश/नयून, खिडक/ खडकी, दरेक/ बकिन, फगूडा/ फेगुडा/त्यामल/तिमला/तिरमल/ अंजीरी/कलस्टर फिग/गुलर, तून, जामुन, टीक/सगुन/सागवान, अर्जुन, सेमल/शलमाटास, बिहूल/ बेयूल/ भिमल/ भियूनल/ धमन, पाजा/पदम, कामला/रैनी/रोहण/ रोहिन/ सिन्दूरी, आम (वन्य प्रजाति) रिष्टक/रीठा/डोडे, के अभिवहन पास पर छूट दी गई है।

आनन्द चौहान को जमानत

........पृष्ठ 1 का शेष

105 बाक्स 550 रूपये प्रति बाक्स दिखाये जाते हैं। इसके बाद 19.8.2009 को क्रमांक 1989 का बिल काटा जाता है। जिसमें 403 बाक्स 1780 रूपये प्रति बाक्स दिखाये जाते हैं। जांच में यह भी सामने आता है कि चौहान के पास 2. 91 करोड़ छः माह, 2.41 करोड़ दो माह और 1.41 करोड़ 25 दिन के लिये कैश इन हैण्ड रहता है। जबकि एमओयू की शर्त के मुताबिक इस पैसे का तुरन्त निवेश हो जाना चाहिए था परन्तु ऐसा हुआ नही है। इसी दौरान आनन्द चौहान एलआईसी के विकास अधिकारी मेघ राज शर्मा के खाते में 49.50 लाख जमा करना बताता है। जबकि बाद में यह रकम एक करोड़ निकलती है।

वर्ष 2011-12 के लिये आनन्द चौहान 2,65,690 रूपये की रिर्टने भरता है। जबकि उसके खाते में 1. 35 करोड़ जमा होते हैं जिनमें से 1. 30 करोड़ वह एलआईसी को ट्रांसफर करता है। इसी तरह यूनिवर्सल एप्पल 1.5.2010 से 8.5.2010 के बीच आनन्द को एक करोड एडवांस देना बताता है लेकिन उसके रिकार्ड में इसकी कोई एंट्री ही नही मिलती है। आनन्द चौहान ने वीरभद्र परिवार के नाम जो 15 एलआईसी पॉलिसियां ली हैं वह 27.3.2010, 28.05.2010 और 31.12.2010 की हैं सबमें एकमुश्त पैसा जमा हुआ है।

इन सारे तथ्यों को सामने रखते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि आनन्द चौहान ने हर वर्ष अपनी आयकर रिर्टन भरते हुए अपनी पूरी आय का खुलासा नही किया है। तीनों वर्षो की रिर्टन के मुताबिक इस अवधि में वह अपनी आय करीब आठ लाख दिखाता है जबकि उसके खातों में करीब पांच करोड़ जमा होते हैं। बागीचे के प्रबन्धन का सारा खर्च वह करता है। इस खर्च के नाम पर 31.10.2010 को एक ही दिन वह पैकिंग के लिये 6,06,831/- कीटनाशक दवाईयों के 3,25,631/- और लेवर के लिये 3,50,000 रूपये खर्च करता है। आयकर अधिकारी जांच के लिये उसकी रिर्टन पर उसको नोटिस जारी करता है जिस पर वह अन्ततः यह कहता है कि उसके खातों में जमा सारा पैसा वीरभद्र के बागीचे की आय है। इस आश्य के एमओयू की फोटो कापी पेश करता है मूल प्रति गुम होने की बात करता है। परन्तु इस एमओयू की प्रमाणिकता के लिये विभाग वीरभद्र से नही पूछता है आनन्द चौहान ने अपनी आयकर रिर्टन गलत क्यों भरी? जब उसके खातों में पैसा था और वह उसका निवेश भी कर रहा था। ईडी सूत्रों के मुताबिक इसका कोई सन्तोषजनक उत्तर न दे पाने के कारण ही उसको जमानत नही मिल पा रही है।